

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2013/कार्तिक 17, 1935

No.256]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

विषय:-चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नोनायल फिनाल के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फाइल सं. 15/1007/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, चाइनीज ताइपेई (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नोनायल फिनाल (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने मूल जांच 29 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/13/2005-डीजीएडी के तहत शुरु की थी। प्राधिकारी ने निर्णायक शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए दिनांक 25 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/13/2005-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच 4689 GI/2013

परिणाम अधिसूचना जारी की थी। इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 94/2007 के तहत दिनांक 22 अगस्त, 2007 से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था।

2. यतः, मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम एवं नियामवली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन पत्र भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से दायर किया और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरंतरता बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया।

3. दायर किए गए विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन-पत्र को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी अधिरोपित शुल्क की निरंतरता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 9 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1007/2012-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की।

4. जांच की क्षति अवधि में सुधार करते हुए प्राधिकारी ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1007/2012-डीजीएडी के तहत एक शुद्धिपत्र अधिसूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया:

- i. नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली को सूचित किया गया।
- ii. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से सम्बद्ध वस्तु के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता बनी रहेगी और उसकी पुनरावृत्ति होगी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी। घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर और अधिनियम एवं नियामवली के अनुसार दिनांक 9 अगस्त, 2012 को वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की और उसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।
- iii. प्राधिकारी ने प्रमुख नियामवली के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग के आवेदन-पत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों तथा नई दिल्ली स्थित ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र को उपलब्ध कराई। घरेलू उद्योग के आवेदन-पत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अनुरोध करने पर प्रदान कराई गई।
- iv. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली की एक प्रति सहित निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को

उपलब्ध कराए गए थे) को भी प्रेषित की और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

क. चाइना मैन रोड फाइबर कारपोरेशन 10 एफ संख्या 50, एसईसी-1, एचसिन शेंग एस रोड, ताइपेई, ताईवान।

ख. फार्मोशन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन 14 एफ नं. 206, नानकिंग ईस्ट रोड, सेक्टर-2, ताइपेई, ताईवान

v. सम्बद्ध देश से निम्नलिखित निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया-

क. चाइना मैन रोड फाइबर कारपोरेशन 10 एफ संख्या 50, एसईसी-1, एचसिन शेंग एस रोड, ताइपेई, ताईवान।

ख. फार्मोशन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन 14 एफ नं. 206, नानकिंग ईस्ट रोड, सेक्टर-2, ताइपेई, ताईवान

vi. निर्यातकों को भेजे गए पत्र याचिका और प्रश्नावली के साथ इस जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत स्थित ताईपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र को भी भेजी और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत प्रश्नावली का प्रत्युत्तर भेजने का सुझाव दें।

vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति सम्बद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को भी प्रेषित की-

- i. इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड
- ii. मैसर्स माइक्रो इंक्स लिमिटेड
- iii. मनाली कैमिकल्स
- iv. मैसर्स सीजे शाह एंड कंपनी
- v. लिओ कैमोब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- vi. लेक्सिकान कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii. अक्षय इंडस्ट्रीज
- viii. समन्मैन ट्रेड इमोक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. मैसर्स इथेक्स आक्जिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
- x. मैसर्स कृष्णा एण्टीआक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xi. स्टार ओरकेम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- xii. जय कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xiii. यूनीटाप कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. इंडियन कैमिकल्स काउन्सिल

- viii. किसी भी भारतीय आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया।
- ix. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (12 माह) थी। तथापि, क्षति अवधि में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया। पर्याप्त क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों की भी जांच की गई।
- x. घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोत अर्थात् आईबीआईएस से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया कि वह जांच की अवधि सहित, क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए सम्बद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए। चूंकि, आई वी आई आई एस स्रोत के अनुसार जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात की मात्रा डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए आयात से अधिक पाई गई थी तथापि, आंकड़ों के दोनों स्रोतों में सम्बद्ध वस्तु की कीमत लगभग एक समान थी, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आईबीआईएस स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, आईबीआईएस स्रोत से प्राप्त आंकड़ों सम्बद्ध वस्तु का आयात कई अन्य सीमा शुल्क शीर्षों से भी होने की रिपोर्ट करते हैं जिन्हें, ऐसा प्रतीत होता है कि डीजीसीआई एंड एस स्रोत से प्राप्त आंकड़ों में ग्रहण नहीं किया गया है।
- xi. उन निर्यातकों उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रदान कराई उन्हें प्राधिकारी द्वारा सहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।
- xii. प्राधिकारी ने भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से अनुबंध-3 में विहित दिशा निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की गई जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी दिनांक 07 मई, 2013 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण करें। लिखित प्रस्तुतिकरणों में दिए गए तर्कों तथा हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रोक्तियों पर वर्तमान जांच में, जैसे कहीं संगत पाया गया, विचार किया गया।
- xiv. प्रतिभागिता करने वाले घरेलू उत्पादकों तथा सम्बद्ध देश के सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का जरूरी समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया।
- xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की यथोचितता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, यथावांछित, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी जानकारी को गोपनीय के रूप में माना गया और उसका

अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को जहां कहीं संभव हुआ, यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दर्ज की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराएं।

- xvi. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान, अनिवार्य सूचना प्रदान नहीं कराई है अथवा उस तक पहुंच की मनाही की है अथवा जांच में भारी अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किए हैं और उन पक्षकारों को असहयोगकर्ता के रूप में माना है।
- xvii. राजस्व विभाग ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3541117/2001-टी आर के तहत सम्बद्ध जांच करने के लिए 8 नवम्बर, 2013 तक के समय विस्तार की अनुमति दी है।
- xviii. प्रमुख नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 01 नवम्बर, 2013 को जारी प्रकटन विवरण के तहत अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया और उपर्युक्त पर प्राप्त टिप्पणियों पर, प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया।
- xix. इस जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी द्वारा उस पर नियमों के अंतर्गत उसी प्रकार विचार किया गया।
- xx. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 48.14 रुपये = 1 अमरीकी डालर लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद, मूल जांच के विचाराधीन उत्पाद की तरह ही नोनायल फिनाल है, जिस पैरा नोनायल फिनाल के रूप में जाना जाता है। यह एक स्वच्छ विस्कोस तरल द्रव होता है जिसका कोई सेडिमेंट नहीं होता है। नोनायल फिनाल का रासायनिक फार्मला और ढांचा सी 15 एच 24 ओ होता है। इसका प्रयोग, पर्याप्त सन्फोनेशन के पश्चात गैर आयातित सरफैक्टेंट्स के रूप में अनुप्रयोग के लिए एनपी इथायलीन आक्साइड का आयल में घुलनशील फेनोलिक रेजिन का लुब्रीकेटिंग आयल्स में कोरोजन इनहिबिटर्स के रूप में अनुप्रयुक्त आकलनों का और कृषि रसायन फारम्युलेशन्स की अंतर्वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फलेम रिटार्डेंट्स तथा प्लास्टीसाइजर्स के रूप में भी किया जाता है।

7. इस उत्पादन को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत उपशीर्षक संख्या 2907.13 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार और आईबीआईएस आंकड़ों के अनुरूप सम्बद्ध वस्तु का आयात अन्य विभिन्न सीमा शुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी किया जाता है जैसे 29071190, 29072990, 32041790, 38109090, 29214590, 29095090, 34031900, 34021300 और 34021900 । तथापि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद नोनायल फिनाल है। पुनः यह तर्क दिया

गया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नोनयाल फिनाल तथा सम्बद्ध देश में आयातित नोनयाल फिनाल दोनों ही समान उत्पाद हैं।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के आशय एवं दायरे का किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद सम्बद्ध देश से आयातित वस्तु के समान उत्पाद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा सम्बद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद गुणधर्मों के रूप में जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है और उसी पर भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सम्बद्ध देश से आयातित वस्तु नियमों के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी विचार करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पादन का दायरा वहीं होगा जो मूल जांच में था। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए कोई संगत प्रस्तुतिकरण नहीं किया है अथवा सम्बद्ध देश से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति सम्बद्ध वस्तु की समानता के संबंध में कोई विवाद किया है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

11. यह आवेदनपत्र भारत में सम्बद्ध उत्पाद के एकमात्र उत्पादक मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त उत्पादक का उत्पादन घरेलू समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के सम्बंध में कोई संगत प्रस्तुतिकरण नहीं किया है जिससे कि प्राधिकारी को उसकी विशेष रूप से जांच करने तथा उसका समाधान करने की अपेक्षा हुई है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड का सम्बद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बहुत बड़े अनुपात के लिए उत्तरदायी है और पक्षरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए घरेलू उद्योग बनता है।

ड. गोपनीयता

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

(क) वित्तीय विवरण, कच्चे माल के उपयोग का विवरण उत्पादन का तरीका आदि के संबंध में निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

(ख) निर्यातकों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे संविधि के अंतर्गत निर्धारित गोपनीयता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं।

निर्यातकों/आयातकों अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

13. गोपनीयता के दावे के संबंध में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई संगत प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे की जांच की है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-

(1) नियम 6 के उपनियम (2) (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों की प्रतियां अथवा जांच की कार्यवाही के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई किसी अन्य सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के रूप में माना जाएगा और उक्त सूचना को उक्त सूचना के प्रदाता पक्षकार द्वारा विशिष्ट प्राधिकृतीकरण के बिना उसे किसी अन्य पक्षकार को प्रकटन नहीं किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे उस सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करेंगे कि और यदि, ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार के विचार में उपर्युक्त सूचना का सारांश किया जाना संभव नहीं है तो उक्त पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उन कारणों को अभिव्यक्त करता हुआ एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि उसका सारांश संभव क्यों नहीं है। (3) उपनियम (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस ज्ञात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछनीय नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो उक्त सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा इसका सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में प्रकटन करने को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

15. अंतिम जांच परिणाम प्राप्त करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करने के लिए प्रावधान पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नियम 16 के अंतर्गत भी गोपनीय तथ्यों का केवल “अलग-अलग हितबद्ध पक्षकारों” के लिए प्रकटन करना अपेक्षित होता है, जबकि अगोपनीय तथ्यों का प्रकटन सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए किया जाना अपेक्षित होता है किसी भी स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिस्पर्धी एवं विरोधी हितों वाले पक्षकारों को गोपनीय सूचना का प्रकटन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है।

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीयता की अनुमति दे दी और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। तथापि, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वालों को, जहां कहीं संभव हुआ, यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय पाठ प्रदान कराए और वह अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।

च. न्यूनतम सीमा

17. प्राधिकारी द्वारा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और अन्य द्वितीय स्रोत तथा सम्बद्ध देश से प्राप्त आयात आंकड़ों के अनुसार के सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों से प्राप्त आयात आंकड़ों के अनुसार सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात बहुत अधिक तथा न्यूनतम सीमा से ज्यादा है।

छ. पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण क्रियापद्धति एवं पैरामीटर

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

18. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं—

- सम्बद्ध देश के निर्यातक भारत में आयात को वर्ष के अंत की मात्रा के डिस्काउंट की पेशकश कर रहे हैं। यदि इन वर्ष के अंत के डिस्काउंट पर भारत में आयात कीमत का निर्धारण करने पर विचार किया जाता है तो कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयण बहुत अधिक होगा।
- यद्यपि जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में मार्जिनल रूप से गिरावट आई है परंतु मूल जांच के आधार वर्ष तथा वर्तमान जांच से तुलना करने पर यह मात्रा बहुत अधिक है।
- जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में गिरावट आने के बावजूद आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। यह स्पष्टता दर्शाता है कि आयातों की मात्रा में न्यूनतम गिरावट को उक्त शुल्क वापस लिए जाने के एक चिन्ह के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- जैसाकि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए अभावपूर्ण उतर से स्पष्ट है, सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु की बिक्री में अंतर्गस्त व्यापारियों तथा सम्बंधित कम्पनियों ने सहयोग नहीं किया है और प्रत्युत्तर दायर नहीं किए हैं। उपर्युक्त को देखते हुए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों को असहयोगकर्ता के रूप में माना जाए तथा उनके प्रत्युत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाए।
- ऐसी हालात में जहां भारतीय घरेलू उद्योग के लिए लागत में 73 प्रतिशत के निकट तक वृद्धि हुई हो, वहां ताईवान के निर्यातकों के लिए लागत में उसी के अनुरूप वृद्धि (यदि उसी के अनुरूप प्रतिशत में नहीं तो) भी हुई होगी। निर्यात कीमत में वृद्धि किए जाने से संबंधित उनके दावों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लागत में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सम्वर्धित निर्यात कीमत भी केवल पाटित कीमत ही होगी।

निर्यातकों/उत्पादकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

19. निर्यातकों/उत्पादकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं:-

- जांच की अवधि के दौरान ताईवान केंद्र निर्यातकों द्वारा भारत को प्रभारित कीमतें उच्चतम रही हैं। इसलिए घरेलू उद्योग का यह तर्क कि निर्यातकों ने निर्यात की मात्रा उच्चतम स्तर पर रखने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अवशोषण कर लिया है, सही नहीं है।
- घरेलू उद्योग का यह दावा भी निराधार है कि ताईवान के निर्यातक अन्य देशों से प्रभारित कीमतों की तुलना में कम कीमतें प्रभारित कर रहे हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह तर्क कि सम्बद्ध देश के निर्यातक भारत में आयातकों को वर्ष के अंत की मात्रा का डिस्काउंट देने की पेशकश कर रहे हैं प्रमाणों द्वारा साक्ष्यांकित नहीं है।

21. जहां तक घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण का सवाल है कि सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु की बिक्री में अंतर्गस्त व्यापारियों और सम्बद्ध कंपनियों ने सहयोग नहीं दिया है और प्रत्युत्तर दायर किए हैं और इसलिए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों को असहयोगकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और उनके प्रत्युत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाइना मैन रोड फाइबर कारपोरेशन तथा फारमोशन यूनियन कैमिकल की जांच करते समय यह सुनिश्चय किया गया कि दोनों ही उत्पादकों निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात प्रत्यक्षतः तथा व्यापारियों/सम्बद्ध कंपनियों के जरिए किया है। इस मुद्दे का निराकरण निर्यात कीमत का निर्धारण करने से संबंधित पैरा में कर दिया गया है।

22. सीमा शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (1)(ग) के अंतर्गत वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का आशय

- i. समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, उस तुलनात्मक कीमत से होता है जब उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित क्षेत्र में अथवा निर्यातकर्ता देश में उसका आशय खपत के लिए होता है; अथवा
- ii. जब निर्यातकर्ता देश अथवा भू-भाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है अथवा कुछ विशिष्ट बाजार परिस्थितियों अथवा विधि के कारण निर्यातकर्ता देश अथवा उसके भू-भाग में बिक्रियों की मात्रा की समुचित तुलना की अनुमति प्रदान नहीं करती है तो सामान्य मूल्य का निर्धारण या तो-

(क) उप धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित किसी निर्यातकर्ता देश या भूभाग से किसी तृतीय देश को उसका निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत के रूप में किया जाता है; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक बिक्री एवं समान लागत तथा लाभ के लिए अन्य तर्कसंगत संवर्धनों सहित लागत से होता है।

23. सम्बद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर का उत्तर दिया है:

(क) चाइना मैन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी)

(ख) फारमोशन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी)

24. प्राधिकारी ने उन सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है जिन्होंने अपेक्षित जानकारी करने के लिए अपनाई गई सामान्य क्रियापद्धति निम्नलिखित है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगकर्ता निर्यातक/उत्पादक ने सम्बद्ध वस्तु की बिक्री बल्क में तथा फैक्ट फार्म दोनों रूपों में की है। अतः, उक्त निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण की संगणना इस विभेद का समान संज्ञान लेते हुए की गई है। व्यापार के सामान्य अनुक्रम की संतुष्टिकरण के उपरांत प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगकर्ता निर्यातकों की घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया है।

फारमोशन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी) चाइनीज ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एफयूसीसी चाइनीज ताइनोई नोनायल फिनाल का एक उत्पादक है और इसमें सम्बद्ध वस्तु का जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात प्रत्यक्षतः तथा व्यापारियों के जरिए किया है। इसके अतिरिक्त एफयूसीसी ने जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में भी बिक्री की है। की अवधि के दौरान कम्पनी ने सम्बद्ध की घरेलू बाजार में असम्बद्ध पक्षकारों को *** मी.टन (*** एनटीडी) बिक्री की है। व्यापार के सामान्य अनुक्रम की जांच का निर्धारण करने के लिए सम्बंधित उत्पाद की उत्पादन लागत को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार के सामान्य अनुक्रम में की गई थीं; सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में घरेलू बिक्री से सम्बंधित सभी लेनदेनों की जांच की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एफयूसीसी द्वारा सम्बद्ध वस्तु की गृह बाजार में की गई घरेलू बिक्रियां घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रतिनिधिक थी और व्यापार के सामान्य अनुक्रम की जांच की संतुष्टि प्रत्युत्तर दाता के उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के अनुसार कर ली गई थी। प्राधिकारी द्वारा एफयूसीसी, चाइनीज ताइपेई के लिए जांच की अवधि के दौरान सामान्य मूल्य का निर्धारण *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन किया गया।

चाइना मैन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी) चाइनीज ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएमएफसी, चाइनीज ताइपेई नोनायल फिनाल का एक उत्पादक है और उसने जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु का भारत को निर्यात प्रत्यक्षतः तथा व्यापारियों के जरिए किया है। इसके अतिरिक्त, सीएमएफसी ने जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की घरेलू बाजारों में भी बिक्री की है। कंपनी ने घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तु की *** मी.टन (**** एनटीडी) की बिक्री की है। सीएमएफसी के सभी बिक्री लेनदेनों की जांच संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार के सामान्य अनुक्रम में थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएमएफसी द्वारा संबद्ध वस्तु की गृह बाजार में घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधिक थी और प्रत्युत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के अनुरूप व्यापार के सामान्य अनुक्रम की जांच की गई। व्यापार के सामान्य अनुक्रम का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को स्वीकार किया गया है। जांच की अवधि के दौरान सीएमएफसी, चाइनीज ताइपेई के बारे में प्राधिकारी ने सामान्य का निर्धारण *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन किया है।

सामान्य मूल्य ताइवान के सहयोगकर्ता निर्यातक/उत्पादक

28. ताइवान के अन्य किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई के अन्य सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन के रूप में किया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगकर्ता पर निर्यातकों/उत्पादकों ने सम्बद्ध वस्तु का निर्यात बल्क में तथा पैक्ड रूप में किया है। अततः, उक्त निर्यात करने के लिए निर्यातक कीमत का निर्धारण इस विभेद को संज्ञान में रखते हुए किया गया है।

चाइना मैन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी)

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान सीएमएफ सी ने *** लेनदेनों के जरिए *** अमरीकी डालर राशि का भारत को सम्बद्ध वस्तु का कुल *** मी.टन का निर्यात किया है। सत्यापन किए जाने के दौरान सीएमएफसी द्वारा यह सूचना दी गई कि उन्होंने सम्बद्ध वस्तु की *** मी.टन की आपूर्ति ताइवान में अपने एक सम्बद्ध पक्षकारकों की थी, जिसने भारत को इसका निर्यात किया था। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि सीएमएफसी द्वारा *** मी.टन सम्बद्ध वस्तु का निर्यात कुछ असम्बद्ध व्यापारियों द्वारा भी किया गया था। चूंकि सम्बद्ध पक्षकारों और असम्बद्ध व्यापारियों द्वारा किए गए निर्यात नगण्य है, इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण इन निर्यातों का अपवर्जन करके किया है। सीएमएफसी द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निर्यात, जिन पर प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए विस्तार किया है, *** अमरीकी डालर के *** मी.टन है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएमएफसी द्वारा सम्बद्ध वस्तु की भारत को की गई सभी बिक्रियां सीआईएफ आधार पर की गई हैं तथा यह कि भारत को निर्यात के सम्बंध में सभी व्यय सीएमएफसी द्वारा वहन किए गए हैं। कंपनी द्वारा अंतरदेशीय भाड़ा व्यापार संवर्धन शुल्क, पत्तन सेवा शुल्क, समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, क्लोयरेंस एवं हैण्डलिंग, लोडिंग तथा अनुषंगी व्यय पैकिंग व्यय, बैंक प्रभार और क्रेडिट लागत के लिए दावा किए गए सभी समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी द्वारा दावा किए गए और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए कुल समायोजन *** अमरीकी डालर के हैं। अप्रत्यक्ष निर्यातों का अपावर्जन करने तथा समायोजनों को घटाने के पश्चात सीएमएफसी की फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राधिकारी द्वारा *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निर्धारित की गई है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सीएमएफसी ने कुल *** अमरीकी डालर मूल्य की *** मी.टन संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया। समायोजनों की कटौती करने के पश्चात सीएमएफसी की निवल निर्यात कीमत जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन नोट की गई है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान सीएमएफसी ने तृतीय देशों को सम्बद्ध वस्तु का *** अमरीकी डालर/मी.टन के औसत मूल्य पर *** मी.टन; (*** अमरीकी डालर) का निर्यात किया है। समायोजनों के घटाने के पश्चात जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को सीएमएफसी की निवल निर्यात कीमत **** अमरीकी डालर प्रति मी.टन के रूप में नोट की गई है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा तृतीय देशों को किए गए कुल निर्यातों में से जांच की अवधि के दौरान चीन को किए निर्यातों के बारे में कुल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

34. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सीएमएफसी ने तृतीय देशों को सम्बद्ध वस्तु की *** मी.टन (*** अमरीकी डालर) का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समायोजनों के पश्चात सीएमएफसी की तृतीय देशों का निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन बनती है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा तृतीय देशों को किए गए कुल निर्यातों में से, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए चीन को किए गए निर्यातों के बारे में निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

फारमोशन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी)

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान एफयूसीसी ने *** लेनदेनों के जरिए *** अमरीकी डालर राशि का भारत को सम्बद्ध वस्तु का कुल *** मी.टन का निर्यात किया है। इनमें से *** अमरीकी डालर की राशि के *** मी.टन का निर्यात असंबद्ध व्यापारियों द्वारा किया गया था। चूंकि अंतर्ग्रस्त व्यापारी असंबद्ध है इसलिए प्राधिकारी सीएमएफसी की निर्यात कीमत का निर्धारण इन निर्यातों का अपवर्जन करके करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने भारत को *** अमरीकी डालर मूल्य की *** मी.टन संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्षतः निर्यात किया था। कंपनी द्वारा अंतरदेशीय भाड़ा, व्यापार संवर्धन शुल्क, पत्तन सेवा शुल्क, समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा कमीशन, क्लियरेंस और प्रहस्तन, लोडिंग तथा अनुषंगी व्यय, पैकिंग व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के रूप में दावा किये गये समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दावा किया गया कुल समायोजन और प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कुल समायोजन *** अमरीकी डालर है। अल्प प्रमात्रा तथा व्यापारियों के माध्यम से किये गये निर्यातों के मूल्य का अपवर्जन करने के पश्चात और समायोजनों को घटाने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा एफयूसीसी के लिए फैक्टरी बाह्य स्तर की निवल निर्यात कीमत का निर्धारण *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन किया गया है।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान एफयूसीसी ने भारत को सम्बद्ध वस्तु के कुल *** अमरीकी डालर मूल्य के **** मी. टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि समायोजनों को घटाने के पश्चात जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान एफयूसीसी की निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन बैठती है।

37. तृतीय देशों को किए गए निर्यातों के सम्बंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान एफयूसीसी ने **** मी. टन (*** अमरीकी डालर) सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि समायोजन के पश्चात एफयूसीसी की जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन बैठती है।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान एफयूसीसी ने *** मी.टन (*** अमरीकी डालर) सम्बद्ध वस्तु का तृतीय देशों को निर्यात किया है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि समायोजन के पश्चात एफयूसीसी की जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान तृतीय देशों को निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन बैठती है।

असहयोगकर्ता निर्यातकों के सम्बंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

39. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में दी गई शर्तों के अनुसार असहयोगकर्ता निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। तदनुसार चाइनीज ताइपेई के सभी असहयोगकर्ता निर्यातकों के सम्बंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान फैक्टरी बाह्य स्तर निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन

40. फैक्टरी बाह्य स्तर पर इस तरह निर्धारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा ताइवान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए के अनुसार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सीएमएफसी के

सम्बंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और एफयूसीसी तथा सम्बद्ध देश के अन्य सभी निर्यातकों के सम्बंध में पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है।

पाटन मार्जिन जांच की अवधि

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी.टन)	निर्यात कीमती अम.मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
सीएमएफसी	***	***	***	***	0-10
एफयूसीसी	***	***	***	***	5-15
ताइवान के अन्य सभी निर्यातक	***	***	***	***	25-35

41. ताइवान के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

संभावित पाटन मार्जिन-जांच की अवधि के पश्चात की अवधि

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी.टन)	निर्यात कीमती अम.मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
सीएमएफसी	***	***	***	***	5-15
एफयूसीसी	***	***	***	***	15-25

42. सम्बद्ध वस्तु के तृतीय देशों को निर्यातों के संबंध में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए के अनुसार है:

संभावित पाटन मार्जिन-पीओआई - तृतीय देश

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी.टन)	निर्यात कीमती अम.मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
सीएमएफसी	***	***	***	***	0-10
एफयूसीसी	***	***	***	***	5-15

संभावित पाटन मार्जिन-पोस्ट पीओआई - तृतीय देश

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी.टन)	निर्यात कीमती अम.मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
------------------	---	---------------------------	-------------------------------	----------------	------------------------

सीएमएफसी	***	***	***	***	5-15
एफयूसीसी	***	***	***	***	5-15

प्राधिकारी नोट करते हैं कि तृतीय देशों में सहयोगकर्ता निर्यातकों को निर्यातों के संबंध में जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान दोनों सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। तृतीय देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ज. क्षति निर्धारण के लिए क्रियापद्धति तथा क्षति एवं कारणात्मक सम्बंधों की जांच

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

44. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए-

- पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के बावजूद सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से और अन्य देशों से आयातों के संबंध में भारी वृद्धि दर्ज की है।
- सम्बद्ध देशों से आयातों में इस तथ्य के बावजूद वृद्धि हुई है कि याचिकाकर्ता के पास संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारी अप्रयुक्त क्षमता बनी रही।
- पीओआई के दौरान पाटन की स्थिति में और अधिक तीव्रता आई।
- सम्बद्ध देश से आयातों का उतराई मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान, वर्ष 2008-09 को छोड़कर जब कीमत अधोरदन नकारात्मक था; घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का भारी अधोरदन कर रहा है, परंतु उक्त अवधि के दौरान कीमत अधोबिक्रयण भी बहुत अधिक रहा।
- याचिकाकर्ता की लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट में क्षमता संपूर्ण रूप से कंपनी से सम्बद्ध है जिसमें सभी संयंत्रों को कवर किया गया है और यह सम्बंधित उत्पाद तक विशिष्ट नहीं है।
- पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संपूर्ण क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से कीमत अधोरदन बहुत अधिक रहा है।
- याचिकाकर्ता को भारत में भारी बाजार मौजूद होने के बावजूद अपने संयंत्र निरर्थक डाले रखने के लिए मजबूर किया गया।
- इस तथ्य के बावजूद कि कुछ क्षति का आक्रामक कीमत कम करने की प्रक्रिया द्वारा प्रशमन किया गया, तथापि पाटित आयातों में भारी वृद्धि याचिकाकर्ता को गंभीर क्षति कारित कर रही है।
- सम्बद्ध वस्तु की अवधि की मात्रा पर ऐसा प्रतीत होता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद भारत में सम्बद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इसका परिणाम, यह हुआ कि घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा सम्बद्ध देश से आने वाले पाटित आयातों के कारण खोना पड़ा।
- आयातों में यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई है कि घरेलू उद्योग के पास सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करने की भारी अप्रयुक्त क्षमता है।

- xi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान थोड़ा सा सुधार हुआ परंतु इसमें जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान तीव्र गिरावट आई है।
- xii. याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्राप्त क्षमता उपयोग अभी भी उस स्तर से बहुत निम्न स्तर पर है जो उस समय मौजूद था जब बाजार में पाटित आयात नहीं थे। घरेलू उद्योग की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से आ रहे पाटित आयातों के कारण अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने में समर्थ नहीं हुए हैं।
- xiii. याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2010-11 तक सुधार प्रदर्शित हुआ है वस्तु जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है।
- xiv. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने में बावजूद घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में 50 प्रतिशत के स्तर तक की वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है जबकि सम्बद्ध देश से पाटित आयातों भारत में अपने भारी बाजार हिस्से को लगातार बनाए रखे हुए हैं।
- xv. वर्तमान मामले में क्षति विश्लेषण करने के लिए न्यून मालसूची संगत पैरामीटर नहीं हैं क्योंकि अधिकांश उत्पादन आर्डर बैंकिंग्स पर आधारित है।
- xvi. घरेलू उद्योग को वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान भारी घाटा हुआ। उसके पश्चात हालात में मामूली सा सुधार होना प्रारंभ हुआ और घरेलू उद्योग ने वर्ष 2009-10 के पश्चात से नकद लाभ अर्जित करना प्रारंभ कर दिया। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान गिरावट आई। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित अर्जन भी जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गए। पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने की स्थिति में अब पाटित आयात और अधिक बढ़ जाएंगे और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित करेंगे। लगाई गई पूंजी पर घरेलू उद्योग का अर्जन प्राधिकारी द्वारा अनुमत आवक की मानक दर की तुलना से बहुत कम है।
- xvii. भारत में सम्बद्ध वस्तु के लिए बाजार के आकार पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को अपने क्षमता उपयोग में भारी वृद्धि करना चाहिए था परंतु वह चाइनीज ताइपेई से पाटित वस्तुओं की भारी मात्रा में मौजूदगी के कारण करने में असमर्थ रहा।
- xviii. निर्यातकों के यह दावे कि याचिकाकर्ता पर सम्बद्ध आयातों के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा और जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के बिक्री प्रापण में भी सुधार हुआ है पूर्णतया भ्रामक है। यद्यपि घरेलू उद्योग उद्योग की लाभप्रदायकता में शुल्क का अधिरोपण होने की जांच वर्षों की अवधि के आखिरी भाग के दौरान कुछ मामूली सा सुधार हुआ है परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ा।
- xix. सम्बद्ध देश से आयातों की तुलना में अन्य देशों से होने वाले आयात मात्रा के रूप में इतने अधिक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके अथवा गंभीर क्षति कारित करने की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो सके। अतः घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति का प्रारंभिक कारण सम्बद्ध देश से पाटित आयात की है।

- xx. प्राधिकारी की संगत परम्परा रही है कि वह घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत अर्जन की अनुमति देते हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

45. उत्पादको/निर्यातको/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं:—

- i. घरेलू उद्योग को कोई मात्रा एवं कीमत क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के एक संयंत्र में सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो नोनायल फिनाल तथा डीओजी दोनों का उत्पादन कर सकता है। क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण डीओपी के उत्पादन में कमी होना तथा नोनायल फिनाल के निर्यातों में कमी होना परंतु इसका कारण नोनायल फिनाल की घरेलू बिक्री में कमी होना नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग वर्ष 2009-10 में लगभग 3783 मी.टन नोनायल फिनाल का निर्यात करने में सक्षम हुआ था। वर्ष 2009-10 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु की कुल बिक्री में से 35 प्रतिशत से अधिक का सम्बद्ध वस्तु का निर्यात शामिल था। जांच की अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों में 486 मी.टन तक की कमी आ गई जो कुल बिक्रियों केवल 6 प्रतिशत है। उसी अवधि के दौरान डीओपी के उत्पादन में भी 2183 मी.टन तक की कमी आ गई। उपर्युक्त तथा स्पष्टतः यह स्थापित करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर कोई मात्रा प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iii. जांच की अवधि के दौरान ताड़वान से होने वाले निर्यातों में भारी कमी आई है।
- iv. घरेलू उद्योग को निदेश पर अर्जन तर्क संगत से अधिक हुआ है।
- v. जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ सर्वोत्तम है।
- vi. गैर-क्षतिकारी कीमत में गिरावट आई तथा बिक्री अर्जन में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान गैर-क्षतिकारी कीमत अर्जित करने में सक्षम रहा है। इसलिए घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है।
- vii. जांच की अवधि के दौरान ताड़वान से निर्यात कीमत सर्वाधिक रही है। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में सर्वोत्तम प्रापण प्राप्त करने में सफल रहा है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कमी आई है।
- viii. चूंकि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान फिनाल, एक प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा इसलिए पाटन एवं क्षति विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए।
- ix. घरेलू उद्योग का संस्थापित क्षमता के सम्बंध में किया गया दावा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों से मेल नहीं खाता है।
- x. क्षमता में गिरावट से मूल्यहास में भी गिरावट होनी चाहिए थी इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान अनुक्रमित रूप में मूल्यहास में तीन गुना वृद्धि हुई है।
- xi. ब्याज लाग में गिरावट लगाई गई पूंजी के दावे से मेल नहीं खाती है।

- xii. चूंकि घरेलू उद्योग ग्राही रूप से फिनाल का विनिर्माण कर रहा है इसलिए फिनाल की वास्तविक लागत को सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत से प्रभारित किया जाना चाहिए।
- xiii. गैर क्षतिकारी कीमत की जरूरत पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के पैरा 4 के अनुरूप किए जाने की जरूरत है।
- xiv. 22 प्रतिशत आर ओसीई अपनाया जाना तर्क संगत नहीं है।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग में गिरावट के दावे भ्रामक हैं। घरेलू उद्योग अपने लगभग समस्त उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम रहा है।
- xvi. जांच की अवधि के दौरान ताईवान से आयातों में गिरावट आई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. इस सम्बंध में घरेलू उद्योग द्वारा तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार करते हुए प्राधिकारी को सम्बद्ध देश से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही से पहले घरेलू उद्योग को होने वाली मौजूदा क्षति, यदि कोई हो, की जांच करना आवश्यक है।

47. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 यह प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को इंगित करने वाले कारकों की जांच करना अंतर्ग्रस्त होगा जिसमें पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव को शामिल करते हुए सभी संगत कारकों पर विचार किया जाएगा.....”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच किया जाना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना तक रहा है अथवा वे कीमतों को बढ़ाने से रोक रही हैं जो अन्यथा भारी मात्रा में घटत हुआ होता।

48. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्रमुख नियम के अनुबंध-2 के अनुसार उन सभी देशनाकों पर विचार किया गया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदायकता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं उसका परिमाण आदि।

49. वर्तमान समीक्षा प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में प्रावधान किया गया है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामलों में भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अतः प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों यथावश्यक परिवर्तनों सहित पर विचार करते हुए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्यों पर भी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करते समय विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा उपाय उस पाटन का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है या नहीं जो क्षति कारित कर रहा है।

50. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर किया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का किसी समीक्षा में, यह विचार हो कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है इसलिए वह, समय-समय पर, इस अधिरोपण की अवधि पांच अन्य वर्षों के लिए बढ़ा सकती है और यह संवर्धित अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

51. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश से घरेलू उद्योग पर सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव तथा कीमत एवं लाभप्रदायकता पर इसके प्रभाव की जांच क्षति की अवस्थिति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक सम्बन्ध यदि कोई हो, की जांच करने के लिए की है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है।

52. प्राधिकारी द्वारा निम्नवत किया गया क्षति विश्लेषण वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों का निराकरण करता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों का, जिन्हें संगत समझा गया, प्राधिकारी द्वारा निम्नवत निराकरण किया गया है:

- i. जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में गिरावट का मुख्य कारण डीओपी के उत्पादन में कमी होना तथा नोनायल फिनाल के निर्यात में कमी होना है, न कि नोनायल फिनाल की घरेलू बिक्री में कमी होना इस सम्बन्ध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, यद्यपि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आयी है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को वर्तमान क्षति विश्लेषण से अपवर्जित कर दिया गया है और इसलिए उसे घरेलू उपयोग को होने वाली क्षति के लिए एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ii. जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बन्ध है कि चूंकि प्रमुख कच्चे माल अर्थात् फिनाल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए पाटन एवं क्षति का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को तिमाही विश्लेषण के लिए औचित्यपूर्ण ठहराने हेतु प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
- iii. जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बन्ध है कि गैर क्षतिकारी कीमत की क्रियापद्धति पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है और गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के पैरा 4 के अनुरूप किए जाने की जरूरत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है।
- iv. जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बन्ध है कि 22 प्रतिशत आरओसीई को अपनाया जाना तर्क संगत नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 22 प्रतिशत आरओसी ई अपनाना डीजीएटी की एक संगत परम्परा है।

- v. ग्राही रूप से विनिर्मित फिनाल के सम्बंध में प्राधिकारी ने सत्यापन के दौरान स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करने में ग्राही रूप से उत्पादित फिनाल का उपयोग नहीं किया है और यह कि फिनाल की सम्पूर्ण जरूरत को असम्बद्ध पक्षकारों से आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।
- vi. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे जांच की अवधि के दौरान गैर-क्षतिकारी कीमत अर्जित करने में सफल रहे हैं प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत प्रभाव का निर्धारण करने के लिए गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना निवल बिक्री प्रापण से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण समाप्त किए जाने का निश्चय करने के लिए एनएसआर एकमात्र पैरामीटर नहीं है। प्राधिकारी ने आयातों के अन्य कीमत प्रभावों की पर्याप्त रूप से जांच की है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

मात्रा प्रभाव

53. पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच निम्नवत की है:-

मांग एवं बाजार हिस्सा

54. प्राधिकारी ने देश में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में की है। इस तरह आकलित मांग को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है।

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जांच की अवधि)	2012-13 (जांच की अवधि पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल सितम्बर, 2012)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	1,220	6,968	7,824	7,287	5,540	2891
कुल आयात	8,267	8,623	8,097	7,405	9357	4599
आयात सम्बद्ध देश से	5,139	8,611	6,701	6,494	8984	4257
अन्य देशों से आयात	3,128	12	1,396	911	372	342
कुल मांग	9,487	15,591	15,921	14,692	14,897	7490
बाजार हिस्सा						
➤ घरेलू उद्योग	12.86%	44.69%	49.14%	49.60%	37.19%	38.59%
➤ सम्बद्ध देश	54.17%	55.23%	42.09%	44.20%	60.31%	56.84%
➤ अन्य देश	32.97%	0.08%	8.77%	6.20%	2.50%	4.57%
➤ कुल	100%	100%	100%	100%	100%	100%

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की सम्बद्ध वस्तु की बिक्रियों में तत्काल विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मामूली सी गिरावट प्रदर्शित होती है परंतु आधार वर्ष की तुलना में इसमें पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित होती है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात, यद्यपि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना करने पर कम हुए हैं, दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की

तुलना में इनमें भारी वृद्धि हुई है। देश की घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तु की मांग भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, पर्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई के जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है।

आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

55. पाटित आयातों की मात्रा प्रभाव के सम्बंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
सम्बद्ध देश	मी.टन	5,139	8,611	6,701	6,494	8984	4257
अन्य देश	मी.टन	3,128	12	1,396	911	372	342
कुल आयात	मी.टन	8,267	8,623	8,097	7,405	9356	4599
आयातों में बाजार हिस्सा							
सम्बद्ध देश	%	62.2	99.9	82.8	87.7	96	92.56
अन्य देश	%	37.8	0.1	17.2	12.3	4	7.44
कुल आयात	%	100	100	100	100	100	100
निम्नलिखित के सम्बंध में सम्बद्ध देश के आयात							
भारत में खपत/मांग	%	54.17	55.23	42.09	44.20	60.31	56.84
भारत में उत्पादन	%	375.55	78.57	67.60	80.03	156.02	148.71

प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध देश से पाटित आयातों/की मात्रा में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सी गिरावट आई है परंतु आधार वर्ष से तुलना करने पर इसमें भारी वृद्धि हुई है। तथापि, भारत में कुल आयातों में सम्बद्ध देश के हिस्से में तत्काल विगत वर्ष तथा आधार वर्ष दोनों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश के बाजार हिस्से में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।

उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

56. नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरा घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन, यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में इनमें वृद्धि हुई है, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना करने पर भारी गिरावट प्रदर्शित करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के)	2012-13 (जांच की अवधि के)
-------	------	---------	---------	---------	--------------	------------------------------	------------------------------

						पश्चात वार्षिक)	पश्चात अप्रैल- सितम्बर, 2012)
संस्थापित क्षमता	मी.टन	24,315	24,315	24,315	24,315	24,315	12158
प्रवृत्ति		100	100	100	100	100	100
उत्पादन (संयंत्र)	मी.टन	7,581	18,868	17,353	13,840	12,098	5606
प्रवृत्ति		100	249	229	183	160	148
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	मी.टन	1,368	10,960	9,913	8,115	5,758	2898
प्रवृत्ति		100	801	725	593	421	424
क्षमता उपयोग (संयंत्र)	%	31.18%	77.60%	71.37%	56.92%	49.75%	46.12
प्रवृत्ति		100	249	229	183	160	148

बिक्री

57. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में तत्काल विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट प्रदर्शित होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मांग में गिरावट देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी गिरावट आई है जबकि देश में सम्बद्ध वस्तु के लिए कुल मांग में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012- 13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल- सितम्बर, 2012)
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	1,220	6,968	7,824	7,287	5,540	2891
अनुक्रमित		100	571	641	597	454	474
कुल मांग	मी.टन	9,487	15,591	15,921	14,692	14,897	7490
अनुक्रमित		100	164	168	155	157	158

बाजार हिस्सा

58. घरेलू उद्योग द्वारा संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद तथा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद जांच की अवधि सहित संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार के हिस्से में सम्बद्ध देश से आयातों का भारी आधिपत्य बना रहा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के

पश्चात की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि सम्बद्ध देश के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है।

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
➤ घरेलू उद्योग	%	12.86	44.69	49.14	49.60	37.19	38.59
➤ सम्बद्ध देश	%	54.17	55.23	42.09	44.20	60.31	56.84
➤ अन्य देश	%	32.97	0.08	8.77	6.20	2.50	4.57

पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

59. सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोबिक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अबमंदन के संदर्भ में की गई। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) तथा गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना सम्बद्ध देश के आयातों की उतराई कीमत से की गई। जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों में उतराई मूल्य तथा घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए करों, रिबेटो, डिस्काउंट और कमीशन का समायोजन किया गया। कीमत अधोबिक्रयण क्षति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, अतः, प्राधिकारी ने एक गैर क्षतिकारी कीमत की गणना की तथा कीमत अधोबिक्रयण की सीमा पर पहुंचने के लिए उसकी तुलना उतराई मूल्य से की गई। घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पाद लागत पर विचार करते हुए समुचित रूप से किया गया। स्थिति निम्नवत है:

कीमत अधोरदन एवं अधोबिक्रयण प्रभाव

60. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क सहित अथवा शुल्क के बिना कीमत अधोरदन एवं अधोबिक्रयण दोनों का विश्लेषण किया है :—

कीमत अधोरदन

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल, सितम्बर, 2012)

निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	132	161	159	162
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	80	121	155	144	152
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	82	119	151	142	150
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	653	235	39	312	151
	%	***	***	***	***	***	***
	रैंज%	(0-10)	15-25	0-10	0-10	0-10	0-10
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	-100	86	-16	-69	-11	-52
	%	***	***	***	***	***	***
	रैंज	(10-20)	10-20	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)

कीमत अधोबिक्रयण

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात [वार्षिक])	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात [अप्रैल-सितम्बर, 2012])
घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***
प्रवृत्ति		100	107	108
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***
प्रवृत्ति		100	93	98
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	99
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी.टन	***	***	***
	%	***	***	***
	रैंज %	(0-10)	0-10	0-10
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी.टन	***	***	***
	%	***	***	***
	रैंज %	(5-15)	0-10	(0-10)

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोबिक्रयण नकारात्मक तथा पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण सकारात्मक है। अतः पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिये जाने की स्थिति में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान कीमत अधोदरदन की संभावना बहुत अधिक है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कीमत अधोबिक्रयण, पाटनरोधी शुल्क सहित तथा पाटनरोधी शुल्क के बिना दोनों में नकारात्मक है। जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित तथा पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण सकारात्मक है।

पाटित आयातों का कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव

61. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निचल बिक्री प्रापण प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन लागत से की गई। नीचे दिये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका।

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल, सितम्बर, 2012)
उत्पादन लागत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	100	52	72	84	92	93
निचल बिक्री कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	100	104	132	161	159	162
लाभ/हानि	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	(100)	12	4	13	(9)	(7)
उत्तराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	100	80	121	155	144	152

अन्य क्षति पैरामीटरों की जांच

62. घरेलू उद्योग के मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के पश्चात और प्रमुख क्षति संकेतकों जैसे आयातों की मात्रा एवं मूल्य क्षमता आउटपुट, क्षमता उपयोग, और घरेलू उद्योग की बिक्री तथा विगत खंड में विभिन्न सेगमेंट के बाजार हिस्से सहित मांग पद्धति अन्य वार्षिक पैरामीटरों जो घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं, का निम्नवत विश्लेषण किया गया है।

लाभ/हानि, निवेश पर अर्जन तथा नकदी प्रवाह

63. निवेश पर अर्जन, ब्याज पूर्व और ब्याज पश्चात लाभ/हानि, निवेश पर अर्जन तथा नकद लाभ को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
उत्पादन लागत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	100	52	72	84	92	93
निवल बिक्री कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	100	104	132	161	159	162
लाभ/हानि	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रम	(100)	12	4	13	(9)	(7)
लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	68	27	77	(41)	(16)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	72	28	81	(42)	(16)
नकद लाभ		***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	100	48	104	(27)	(9)
लगाई गई पूंजी पर अर्जन	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	31	12	30	(16)	(24)

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा निवल बिक्री कीमत में जांच की अवधि के दौरान उसके तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की कीमत स्थिति में भी जांच की अवधि के दौरान उसके तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में पर्याप्त सुधार हुआ है। जांच की अवधि के दौरान ब्याज दर स्थिति में भी सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग में हुए इन सुधारों के लिए पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परंतु जांच की अवधि के पश्चात जांच की अवधि के दौरान, पाटनरोधी शुल्क के बावजूद उतराई मूल्य में भारी गिरावट के कारण लाभ, निवल बिक्री प्रापण तथा आरओसी ऋणात्मक परिवर्तित हो गया।

मालसूची

64. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच की अवधि के दौरान, आधार वर्ष तथा तत्काल विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के पश्चात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर भारी मालसूची का बोझा था।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
औसत स्टाक	मी.टन	***	***	***	***	***	***
औसत स्टाक	अनुक्रमित	100	167	160	170	274	274

रोजगार वेतन और उत्पादकता

65. प्राधिकारी अधोलिखित तालिका में दी गई सूचना से यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में रोजगार में गिरावट आई है वहीं उसी अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिक)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
रोजगार	संख्या	71	71	70	66	66	66
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	99	93	93	93
वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	131	144	158	158
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन	106.78	265.75	247.90	209.70	183.30	170
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	249	232	196	272	159
उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन	20.77	51.69	47.54	37.92	33.14	30.72
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	249	229	183	160	148

वृद्धि

66. घरेलू उद्योग के मात्रा एवं कीमत पैरामीटर जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि का संकेत देते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की समग्र हालत में मुख्यतः पाटनरोधी शुल्क उपायों के कारण सुधार हुआ है। परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के आर्थिक विकास में उतराई मूल्य में भारी गिरावट होने के कारण, पाटनरोधी शुल्क के बावजूद गिरावट आई है।

पाटन के मार्जिन का विस्तार

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सकारात्मक है।

पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

68. पाटन की स्थिति में पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता प्रासंगिक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद उद्योग है।

झ. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक सम्बंध

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

69. घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति का प्राथमिक कारण संबद्ध देश से पाटित आयात हैं। सम्बद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा के रूप में इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो सके अथवा उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

70. जांच की अवधि के दौरान ताइवान से निर्यात कीमत तथा घरेलू उद्योग का बिक्री प्रापण सर्वोच्च है। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुरूप पाटन एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

71. अधिनियम की धारा 9क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति तथा शुल्क की निरंतरता की आवश्यकता की जांच करना अपेक्षित होता है। यह सब होते हुए भी, प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकते हैं, यह जांच निम्नवत है:

- i. **तृतीय देशों से आयात:** अन्य देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात या तो न्यूनतम से कम है अथवा आयात कीमत उच्चतर है। इसलिए अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- ii. **मांग में संकुचन:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है हालांकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना करने पर इसमें मामूली सी गिरावट आई है। परंतु, मांग में इस मामूली से संकुचन को क्षति के लिए कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- iii. **खपत की प्रणाली:** यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध वस्तु के लिए खपत की प्रणाली में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आई है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस सम्बंध में कोई प्रस्तुतिकरण किया है।
- iv. **प्रतिस्पर्धा की स्थिति:** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच से ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं से ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता है जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो क्योंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला मैसर्स एस आई गुप देश में सम्बद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

- v. **प्रौद्योगिकी में विकास:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो।
- vi. **निर्यात निष्पादन:** अधोलिखित तालिका में दी गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है। तथापि, निर्यात निष्पादन में इस गिरावट का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि क्षति विश्लेषण, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को शामिल किए बिना गया गया है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात वार्षिकी)	2012-13 (जांच की अवधि के पश्चात अप्रैल-सितम्बर, 2012)
याचिकाकर्ता द्वारा सम्बद्ध वस्तु की निर्यात बिक्रियां (मी.टन)	मी.टन	82	3,783	2,112	486	50	36
प्रवृत्ति		100	4,593	2,565	590	61	87

क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

72. पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं।

- चाइनीज ताइपेई तथा भारत के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु चीन में पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन है। चीन जन गण ने एक निर्णायक समीक्षा जांच करने के पश्चात भारत और चाइनीज ताइपेई पर अभी हाल ही में 5 वर्षों की अन्य अवधि के लिए शुल्क की निरंतरता बनाए रखने का निश्चय किया है। यह स्थिति सम्बद्ध देश के निर्यातकों को भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध वस्तु भारतीय बाजारों में विपथित करने में सक्षम बना देगी।
- पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद भी भारत में सम्बद्ध वस्तु का निरंतर पाटन किया जा रहा है। पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण होते हुए भी जब भारत में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है तो यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में पाटन मार्जिन में और अधिक वृद्धि होगी।
- पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति सहन करनी पड़ रही है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद संबद्ध देश से आयातों का भारत में 50 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा बना रहा।

- iv. संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त क्षमता धारण किए होने के बावजूद, सम्बद्ध देश से पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण याचिकाकर्ता को उप इष्टतम स्तर का प्रचालन करने के लिए मजबूर किया गया।
- v. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद याचिकाकर्ता विगत चार वर्षों तथा समीक्षा की अवधि के दौरान लायी गयी पूंजी पर 22 प्रतिशत आवक प्राप्त करने में कमी भी सक्षम नहीं रहा है।
- vi. वर्ष 2009 तक चाइनीज ताइपेई की कुल क्षमता 50,000 मी.टन प्रति वर्ष थी (जिसे वर्ष 2010 में और अधिक बढ़ाकर 62,000 मी.टन कर लिया गया। यह क्षमताएं चाइनीज ताइपेई में कुल क्षमता, जो लगभग 8000 मी.टन के बराबर है, से बहुत अधिक है। चाइनीज ताइपेई में कुल क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक तृतीय देशों को निर्यात के लिए होता है।
- vii. चाइनीज ताइपेई में उत्पादकों के पास उपलब्ध बेशी क्षमता भारत में कुल घरेलू मांग से लगभग तीन गुना अधिक है। यह स्पष्टतया स्पष्ट है कि चाइनीज ताइपेई में सम्बद्ध वस्तु के लिए अतिरिक्त क्षमता केवल तृतीय देशों को निर्यात के लिए है। परिवहन की अर्थव्यवस्थाओं के कारण सम्बद्ध वस्तु की बिक्री केवल एशिया में करनी पड़ी है। एशिया में सबसे बड़ी बाजार, चीन जन गण ने चाइनीज ताइपेई से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता पहले से ही बना रखी है और इसलिए भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने से चाइनीज ताइपेई के उत्पादकों को मुक्त पहुंच की सुविधा प्राप्त होगी जिससे वे भारत में अपना उत्पाद बिना किसी प्रतिबंध के पाटित कर सकते हैं।
- viii. निर्यातकर्ता यह स्थापित करने में असफल रहे हैं कि जांच की अवधि में अंतर से विश्लेषण की संभाव्यता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत शुल्क की निरंतरता नहीं बनाए रखता है, जबकि चीन जन गण ने ऐसा पहले से ही कर रखा है तो यह स्पष्ट है कि चीन जन गण के लिए बनाई गई वस्तु का भारतीय बाजार में विपथन कर दिया जाएगा।
- ix. भारत द्वारा सम्बद्ध पाटनरोधी शुल्क अगस्त, 2007 से निरंतर प्रभावी रखा गया है और यह कि चीन जन गण ने यह शुल्क मार्च, 2007 से प्रभावी कर रखा है। भारत और चीन जन गण द्वारा वर्ष 2007 में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने से चाइनीज ताइपेई के निर्यातकों ने गैर एशियाई देशों में अपनी बाजार उपस्थिति को व्यापक करने का प्रयास किया है वर्ष 2008-09 में चाइनीज ताइपेई से कुल निर्यातों का गैर एशियाई देशों को होने वाला निर्यात 22 प्रतिशत बनता है और वर्ष 2009-10 में यह 23 प्रतिशत हो गया था। तथापि चाइनीज ताइपेई के निर्यातक यह बेग 2 वर्षों से अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाए और वे वर्ष 2010-11 से अपना माल एशिया महाद्वीप में मुक्त के भाव बेचने को मजबूर हो गए जबकि चीन जन गण तथा भारत में व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय प्रभावी थे।
- x. चाइनीज ताइपेई के निर्यातकों ने विगत पांच वर्षों के दौरान केवल भारत में अपने निर्यातों में वृद्धि की है जबकि अन्य देशों को अपने निर्यात स्थिर रखे हैं। यह अकेला ही एकमात्र आधार है जिस पर शुल्क का अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है।

- xi. इसके अतिरिक्त चाइनीज ताइपेई से उन देशों को निर्यात, जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन थे, में अपने कुल निर्यातों के अनुपात में, पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद, निरंतर वृद्धि होती रही। चीन जन गण और भारत को निर्यात वर्ष 2006-07 (पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने से पहले) के दौरान कुल निर्यातों के 38 प्रतिशत थे जो पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण किए जाने के तत्काल पश्चात बढ़कर 55 प्रतिशत हो गए और उत्तरवर्ती वर्षों में भी यह निर्यात भारी मात्रा में बने रहे। उपर्युक्त विश्लेषण स्पष्टतः यह दर्शाता है कि चाइनीज ताइपेई के निर्यातकों को अपने उत्पादन का निर्यात चीन जन गण एवं भारत को करना पड़ा क्योंकि उसे अपनी वस्तु का अन्य देशों को निर्यात करना अर्थक्षम नहीं लगा। अतः, पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति और भारत में पाटित आयातों में वृद्धि होने की पूरी संभावना मौजूद है।
- xii. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण एक निश्चित दर 163.62 अमरीकी डालर प्रति मी.टन पर किया गया था। सम्बद्ध वस्तु के कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण सम्बद्ध वस्तु की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा जो वर्ष 2005-06 में चाइनीज ताइपेई से भारत को निर्यात कीमत के लगभग *** प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती थी, वर्ष 2011-12 में निर्यात कीमत की केवल *** प्रतिशत रह गयी। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने पर चाइनीज ताइपेई के निर्यातक भारत को अपने निर्यातों में अत्यधिक उच्च मात्रा में वृद्धि करने की स्थिति में हो जाएंगे।
- xiii. वर्ष 2010 और वर्ष 2011 के दौरान याचिकाकर्ता ने घरेलू प्रयोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु की भारी मात्रा में आपूर्ति की थी; परंतु उनसे बार-बार पूछताछ प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद उनमें से कई अगले आदेशों के लिए वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता की ओर मुखातिव नहीं हुए। अपने व्यवसाय प्रतिरूप में परिवर्तन करने और सम्बद्ध वस्तु का क्रय बंद करने का केवल घरेलू प्रयोक्ताओं का ही मामला नहीं है। यह वह मामला है जहां घरेलू प्रयोगता चाइनीज ताइपेई से पाटित वस्तु के संवर्धित आयातों का आश्रय ले रहे हैं। अंतिम प्रयोक्ता की अधिप्रापण नीति में ऐसे बदलाव के लिए प्राथमिक कारण चाइनीज ताइपेई के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा वर्षान्त मात्रा का डिस्काउंट है।
- xiv. सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान 8 प्रतिशत तक गिरावट आई है जबकि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

73. पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं:-

- i. चाइनीज ताइपेई से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता को भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क की संभाव्य निरंतरता के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन द्वारा अपनायी गई जांच की अवधि भारत द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि से भिन्न है।

- ii. चीन भारत की तरह न्यूनतर शुल्क नियम को नहीं अपनाता है और चीन में लागत एवं कीमत ढांचा भारत में प्रचलित लागत एवं कीमत ढांचे से पूर्णतया अलग है।
- iii. संभाव्यता परीक्षण को जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

74. वर्तमान जांच चाइनीज ताइपेई से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की अपेक्षा होती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण आवश्यक है। इसके लिए इस तथ्य की जांच करना भी अपेक्षित होता है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का प्रशमन करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है।

75. वर्तमान जांच में चूंकि सम्बद्ध देश से पाटित आयातों की निरंतरता बनी हुई है इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करने की जरूरत नहीं है कि क्या शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने से इस उत्पाद का निरंतर पाटन होने की संभावना है। पाटनरोधी उपाय प्रभावी होने के बावजूद सम्बद्ध देश भारतीय बाजार में भारी उपस्थिति बनाए रखने में और घरेलू उद्योग के विरोध के बावजूद वह सम्बद्ध वस्तु का निरंतर पाटन कारणों में सक्षम हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्तमान क्षति अवधि में समग्र रूप से भारी मात्रा में बने रहे। यद्यपि विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की समग्र आर्थिक स्थिति में जांच की अवधि के दौरान इजाफा हुआ है फिर भी प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सुधार मुख्यतः पाटनरोधी उपाय प्रभावी होने के कारण हुआ है। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटन रोधी शुल्क के बावजूद, सम्बद्ध देश द्वारा तीव्रीकृत पाटन के कारण घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई है। अतः, पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु का पाटन होने की संभाव्यता और अधिक तीव्रीकृत ढंग से बने रहने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होगी।

76. वर्तमान जांच में, चूंकि सम्बद्ध देश से पाटित आयातों की निरंतरता बनी हुई है इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित नहीं है कि क्या शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से उत्पाद के पाटन की निरंतरता बनी रहेगी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों तथा सम्बद्ध देश से भारत को किए गए निर्यातों के बारे में पाटन मार्जिन की संभावना का निर्धारण तथा तृतीय देशों को संभावना का निर्धारण इस निष्कर्ष के संगत पैराग्राफों में किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभावित पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है। अतः, पाटनरोधी उपाय का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु का भारत में पाटन बढ़ सकता है।

77. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार वर्ष 2009 तक चाइनीज ताइपेई की कुल क्षमता 50,000 मी.टन थी जो वर्ष 2010 में और अधिक बढ़कर 62,000 मी.टन हो गयी। यह क्षमताएं चाइनीज ताइपेई में कुल खपत जो लगभग 8000 मी.टन है से बहुत उच्चतर हैं घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत संगत विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	2008	2009	2010	2011
कुल क्षमता	50,000	50,000	62,000	62,000
चीनी ताइपेई में कुल खपत	8,100	8,400	11,800	8,700
बेशी क्षमता	41,900	41,600	50,200	53,300
कुल क्षमता के प्रतिशत के रूप में बेशी क्षमता	83.80%	83.20%	80.97%	85.97%
चाइनीज ताइपेई द्वारा निर्यात	36,229	45,551	40,421	39,259
कुल क्षमता के प्रतिशत के रूप में निर्यात	72.46%	91.10%	65.20%	63.32%

78. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि चाइनीज ताइपेई में कुल क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता तृतीय देशों को निर्यात के लिए है। सम्बद्ध वस्तु के लिए कुल भारतीय बाजार लगभग 15000 मी.टन प्रतिवर्ष के बराबर है। चाइनीज ताइपेई में उत्पादकों के पास उपलब्ध कुल बेशी क्षमता भारत में कुल घरेलू मांग की लगभग चार गुनी है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि चाइनीज ताइपेई में सम्बद्ध वस्तु के लिए अतिरिक्त क्षमता तृतीय देशों को केवल निर्यात के लिए है। चूंकि चीन में चाइनीज ताइपेई पर पाटन रोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण है, इसलिए सम्बद्ध वस्तु का, पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में अधिक तीव्रकृत ढंग से भारतीय बाजारों में विपथित होने की बाध्यता है। जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े स्वतः स्पष्ट हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत सम्बद्ध वस्तु की भारतीय बाजार में पर्याप्त मांग सम्बद्ध देश में भारी क्षमता और उसकी निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन में तीव्रता आ सकती है और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क्षति एवं क्षति मार्जिन का विस्तार

79. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु की गैर क्षतिकारी कीमत का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में दी गई शर्तों के अनुरूप किया गया है। इस तरह निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सम्बद्ध वस्तु के चाइनीज ताइपेई से निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों ने सम्बद्ध वस्तु का निर्यात बल्क रूप में तथा पैक्ड फार्म दोनों रूपों में किया है। अतः क्षतिमार्जिन की संगणना इस विभेद को संज्ञान में रखते हुए की गई है। अतः क्षति मार्जिन की संगणना इस भेद एवं एनआईपी तथा उतराई मूल्य को ध्यान में रखकर की गई है।

क्षति मार्जिन-जांच की अवधि तथा जांच के पश्चात की अवधि

विवरण	मापन की इकाई	पीओआई			पोस्ट पीओआई	
		सीएमएफसी	एफयूसीसी	अन्य सभी	सीएमएफसी	एफयूसीसी
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***
पाटन रोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***
	अमरीकी	***	***	***	***	***

	डालर/मी.टन					
	%	***	***	***	***	***
	रैंज %	(0-10)	0-10	10-20	0-10	0-10

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएमएफसी के संबंध में जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन नकारात्मक रहा है परंतु जांच की अवधि के पश्चात सकारात्मक हो गया। एफयूसीसी के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सहयोगकर्ता निर्यातकों के मामले में क्षति मार्जिन सकारात्मक तथा बहुत अधिक है।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

81. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित किए जा रहे अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग को पतन से बचाएगा और सम्बद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने से सहायता मिलेगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सम्बद्ध देश से आयातों को किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्तागण अभी भी आपूर्ति के दो या अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

82. पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित हो सके जो देश के आम हित में है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

83. चाइना मैन-मेड फाइबर कारफेरेशन (सीएमएफसी) और फोरमोसन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी) ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के पश्चात मौजूदा जांच जारी रखना विधि के अनुसार उचित नहीं है।
- प्रकटन टिप्पणियों के लिए अपर्याप्त समय दिया गया।
- प्रकटन पश्चात विश्लेषण के लिए आंकड़े एक वर्ष के बजाय छह माह के होने चाहिए।
- क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का अपवर्जन नहीं किया जाना चाहिए।
- पाटन एवं क्षति विश्लेषण मासिक अथवा तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग गैर-क्षतिकारी की मत अर्जित करने में सक्षम है और इसलिए उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है।
- चीन द्वारा ताइवान पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किये जाने के बावजूद चीन को कीमतें भारत को कीमतों के या तो बराबर हैं या उससे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में यह वाणिज्यिक एवं व्यवहारिक रूप से अर्थक्षम और उपयुक्त नहीं है कि चीन को किये जाने वाले आयात भारत को अंतरित एवं विपणित कर दिये जाएं।

84. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में दोहराया है कि चाइना मैन-मेड फाइबर कारफेरेशन (सीएमएफसी) और फोरमोसन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी) को असहयोगकर्ता के रूप

में घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उन व्यापारियों (संबद्ध/असंबद्ध) में जिनके माध्यम से उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, प्रत्युत्तर दर्ज नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण दोहराये गये हैं जिनका इस जांच परिणाम के संगत पैराग्राफ में पहले ही निराकरण कर दिया गया है। ऐसा होते हुए भी प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों की निम्नवत जांच की गई है:

- i. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किये गये इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि चाइना मैन-मेड फाइबर कारफेरेशन (सीएमएफसी) और फोरमोसन यूनियन कैमिकल कारपोरेशन (एफयूसीसी) को असहयोगकर्ता निर्यातक के रूप में घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उन व्यापारियों (संबद्ध/असंबद्ध) में जिनके माध्यम से उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, प्रत्युत्तर दर्ज नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध पक्षकारों तथा असंबद्ध व्यापारियों के जरिये किये गये निर्यात बहुत कम हैं और निर्यात कीमत का निर्धारण ऐसे निर्यातों का अपवर्जन करने के पश्चात किया गया है।
- ii. जहां तक निर्यातकों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि पाटन रोधी शुल्क समाप्त हो जाने के पश्चात मौजूदा जांच की निरंतरता बनाये रखना विधि के विरुद्ध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1)(ख) तथा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) इस प्रचालन का समाधान करते हुए और शुल्क के उदग्रहण की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का प्रावधान करते हैं। उपयुक्त प्रावधान शुल्क समाप्त होने के पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने और एसएसआर आयोजित किये जाने तक एक वर्ष के लिए शुल्क में वृद्धि करने (धारा 9क(5) का द्वितीय परंतुक) का अधिकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त नियम 23(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी समीक्षा 12 माह से अधिक की समयावधि के अंतर्गत आयोजित नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त नियम 23(3) स्पष्टतः उल्लेख करते हैं कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 समीक्षा के इस मामले में यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इस संदर्भ में यह नोट किया जा सकता है कि नियम 17 का प्रथम परंतुक निर्दिष्ट प्राधिकारी को 12 माह का यह समय अन्य 6 माह तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान करता है। नियम 17 के परंतुक के साथ पठित नियम 23 (2) यह उल्लेख करता है कि किसी तरह का समयविस्तार समीक्षा के मामले में भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान समीक्षा में जांच पूरी करने के प्रयोजन से समय में किया गया विस्तार पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत है और समय के विस्तार की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत प्रदान की गई है। अतः यह नोट किया जाता है कि जांच पूरी करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया समय विस्तार विधिक है और यह नियम 23, नियम 17 और अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप है और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अंतिम जांच परिणाम वैध है और यह कानून की भावना में दिये गये अधिदेश के अनुरूप है।
- iii. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि प्रकटन टिप्पणियों के लिए बहुत कम समय प्रदान किया गया था प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच पूरी करने के लिए

अनुमत समयावधि को देखते हुए हितबद्ध पक्षकारों प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण करने के लिए यथोचित एवं पर्याप्त समय दिया गया था।

- iv. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि का विश्लेषण करने के लिए आंकड़े एक वर्ष के बजाय छह माह के होने चाहिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक वर्ष और छह माह दोनों के आंकड़ों को लेकर विश्लेषण किया गया है।
- v. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को क्षति विश्लेषण से अलग नहीं किया जाना चाहिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का अपवर्जन करके ही किया गया है और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं है।
- vi. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि पाटन एवं क्षति विश्लेषण मासिक अथवा तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव मासिक/तिमाही विश्लेषण न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- vii. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि घरेलू उद्योग गैर क्षतिकारित कीमत अर्जित करने में सक्षम है और इसलिए उसे कोई क्षति नहीं हुई है प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्रापण गैर क्षतिकारित कीमत से अधिक है। तथापि प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि निवल बिक्री प्रापण पाटन रोधी शुल्क के अधिरोपण का निश्चय करने के लिए एकमात्र पैरा मीटर नहीं है। आयातों के अन्य कीमत प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाती है।
- viii. जहां तक निर्यातक द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि ताइवान पर चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किये जाने के बावजूद यह उचित प्रतीत नहीं होता है कि भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिये जाने के पश्चात उन्हें भारत को विपथित कर दिया जाए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की भारी मांग, संबद्ध देश में भारी क्षमता तथा इसकी निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क प्रतिसंहरण कर लिये जाने का परिणाम यह होगा कि पाटन बढ़ जायेगा और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

निष्कर्ष

86. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान कराई गई सूचना तथा किए गए प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसे इस अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए पर विचार करते हुए और पाटन एवं परिणामी क्षति की निरंतरता और पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना की स्थिति का विश्लेषण करते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि-

- i. चाइनीज ताइपेई से सम्बद्ध वस्तु का आयात क्षति अवधि के दौरान भारी स्तर पर बना रहा और जांच की अवधि के दौरान इसने भारी हिस्से पर अपना कमांड जारी रखा।
- ii. सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु का निरंतर पाटन हुआ है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो यह पाटन बने रहने तथा उसके बढ़ने की संभावना है।

- iii. जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन नकारात्मक है वही पाटनरोधी शुल्क के बिना यह सकारात्मक है।
- iv. जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित तथा पाटनरोधी शुल्क सहित तथा पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण नकारात्मक है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना कीमत अधोबिक्रयण सकारात्मक है।
- v. घरेलू उद्योग के मात्रा एवं कीमत पैरामीटर्स जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। परंतु, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद भी उतराई मूल्य में भारी गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। अतः घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में जांच की अवधि के दौरान मुख्यतः पाटनरोधी शुल्क लगे होने के कारण सुधार हुआ और जांच की अवधि के पश्चात पाटन बढ़ जाने के कारण स्थिति बदतर हो गई।
- vi. भारत में सम्बद्ध वस्तु की मांग और सम्बद्ध देश की क्षमता तथा सम्बद्ध देश पर चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता पर विचार करते हुए भारतीय प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि पाटन में वृद्धि हो जाएगी और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- vii. जांच की अवधि के दौरान एफयूसीसी और सीएमएफसी दोनों के लिए पाटनमार्जिन सकारात्मक है और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। अतः सम्बद्ध देश ने प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत में सम्बद्ध वस्तु का पाटन बना रहा।
- viii. सम्बद्ध देश सम्बद्ध वस्तु का चीन सहित अन्य देशों में की पाटन कर रहा है। यद्यपि चीन के प्राधिकारियों ने चाइनीज ताइपेई के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाई हुई है। तथापि जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान तृतीय देशों को निर्यात के बारे में पाटन मार्जिन की संभावना सकारात्मक है।
- ix. यद्यपि सीएमएफसी के मामले में जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन नकारात्मक है परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान यह सकारात्मक है। एफयूसीसी के मामले में क्षति मार्जिन जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के पश्चात के दौरान दोनों समयों में सकारात्मक है।
- x. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन ना केवल सकारात्मक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है।
- xi. अतः पाटन रोधी शुल्क में विस्तार किया जाना और उसमें संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

ज. सिफारिशें

87. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति/तीव्रीकरण होने की संभावना है इसलिए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि इस उपाय को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में बढ़ाया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त के अनुसार निष्कर्ष निकालने के पश्चात प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित शुल्क तालिका में दिये गये अनुसार पाटन रोधी शुल्क संवर्धित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों के संबंध में निम्नलिखित तालिका के कालम संख्या 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश की जाती है।

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी) और फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन (एफयूसीसी) दोनों ने विगत जांच में भारतीय प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया और उनपर 163.62 अमरीकी डालर/मी.टन का अवशिष्ट शुल्क अधिरोपित किया गया। वर्तमान निर्यातक समीक्षा जांच में चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी) का जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक पाटन मार्जिन है तथा नकारात्मक क्षति मार्जिन है तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है तथा क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि मैसर्स चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी) पर से पाटन रोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है कि जिससे घरेलू उद्योग पर क्षतिकारी प्रभाव की पुनरावृत्ति होगी। अतः प्राधिकारी संभावित विश्लेषण पर भरोसा करते हुए दिनांक 22 अगस्त, 2007 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.94/2007-सीमाशुल्क द्वारा विगत में अधिरोपित किये गये पाटन रोधी शुल्क की निरंतरता बनाये रखने, जैसा कि अधोलिखित शुल्क तालिका में निर्दिष्ट है, की सिफारिश करते हैं।

89. जहां तक फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन (एफयूसीसी) का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक हैं। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि इस कंपनी ने पाटन रोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान ना केवल अपनी पाटन गतिविधियां जारी रखी बल्कि पाटन की यह गतिविधि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद और अधिक तीव्र कर दी जिससे घरेलू उद्योग को क्षतिकारित प्रभाव बने हुए हैं। अतः फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन (एफयूसीसी) के संबंध में न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षतिमार्जिन के न्यूनतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है, अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर हो सके।

90. ऊपर स्पष्ट किये गये के अनुसार स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन (सीएमएफसी) और फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन (एफयूसीसी) पर कोई विशिष्ट शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश नहीं करते हैं और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 22 अगस्त, 2007 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 94/2007-सीमा शुल्क के तहत पहले से अधिरोपित पाटन शुल्क की निरंतरता बनाये रखने की सिफारिश करते हैं जैसा कि अधोलिखित शुल्क तालिका में स्पष्ट किया गया है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उपशीर्ष/प्रशुल्कमत	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2907 1300	नोनाइल फिनोल	चाइनीज ताइपेई	चाइनीज ताइपेई	मैसर्स चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन	मैसर्स चाइना मेन मेड फाइबर कारपोरेशन	163.62	मी.टन	अमरीकी डालर
2	-वही-	-वही-	चाइनीज ताइपेई	चाइनीज ताइपेई	मैसर्स फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन	मैसर्स फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कारपोरेशन	207.18	मी.टन	अमरीकी डालर

3	-वही-	-वही-	चाइनीज ताइपेई	चाइनीज ताइपेई	(क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित को छोड़कर) उत्पादक/निर्यातक का कोई अन्य संयोजन		364.48	मी.टन	अमरीकी डालर
4	-वही-	-वही-	चाइनीज ताइपेई	चाइनीज ताइपेई के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	364.48	मी.टन	अमरीकी डालर
5	-वही-	-वही-	चाइनीज ताइपेई के अलावा कोई अन्य देश	चाइनीज ताइपेई	कोई	कोई	364.48	मी.टन	अमरीकी डालर

ट. अगली प्रक्रिया

91. इस प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत उदग्रहित शुल्क के अलावा अन्य सभी सीमाशुल्क, के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथानिर्धारित आकलनयोग्य मूल्य होगा।

92. इस आदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात इसके विरुद्ध सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2013

Final Findings

Subject :—Sunset Review of the Anti-dumping Duties imposed on the imports of Nonyl Phenol originating in or exported from Chinese Taipei.

F. No. 15/1007/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

- WHEREAS, the original investigation concerning imports of Nonyl Phenol (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country), was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) vide Notification No. 14/13/2005-DGAD dated 29th June 2006. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 14/13/2005-DGAD dated 25th June, 2007, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed w.e.f. 22nd August, 2007 by the Department of Revenue vide Notification No. 94/2007-Customs dated 22nd August, 2007 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- WHEREAS, M/s. S.I Group India Limited filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide notification No.15/1007/2012-DGAD dated 9th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
4. A corrigendum notification was issued by the Authority vide No. No.15/1007/2012-DGAD dated 27th December, 2012 rectifying the injury period of the investigation.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Taipei Economic and Cultural Centre in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
 - ii. The Authority initiated the present sunset review investigation on 9th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry and in accordance with the Act and the Rules, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry.
 - iii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application of the domestic industry to the known exporters and the Taipei Economic and Cultural Centre in New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application of the domestic industry was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known exporters (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2) & 6(4) of the Rules, with copy to the Taipei Economic and Cultural Centre in New Delhi:
 - a. China Man-made Fibre Corporation, 10F, No. 50, SEC. 1, Hsin Sheng S. Road, Taipei, Taiwan.
Formosan Union Chemical Corporation 14F, No. 206, Nanking East Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan.
 - v. The following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire response:
 - a. China Man-made Fibre Corporation, 10F, No. 50, SEC. 1, Hsin Sheng S. Road, Taipei, Taiwan.
 - b. Formosan Union Chemical Corporation 14F, No. 206, Nanking East Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan.
 - vi. Copy of the initiation notification was also sent to the Taipei Economic and Cultural Centre in India, along with a copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters, and requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.
 - vii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the following known importers of the subject goods in India in accordance with the Rule 6(4) of the Rules:
 - i. India Glycols Ltd.
 - ii. M/s Micro Inks Limited.
 - iii. Manali Chemicals.
 - iv. M/s C.J. Shah & Co.
 - v. Leo Chemoplast Pvt Ltd.
 - vi. Lexicon Chemicals Pvt Ltd.
 - vii. Akshya Industries.
 - viii. Samnman Trade Impex Pvt Ltd.
 - ix. M/s Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd.
 - x. M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 - xi. Star Orechem International Pvt Ltd.
 - xii. Jay Chemical Industries Ltd.
 - xiii. Unitop Chemicals P. Ltd.

- xiv. Indian Chemicals Council.
- viii. None of the Indian importers/users filed importers questionnaire response.
- ix. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 (12 months). However, injury investigation covered the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 and the POI. The data beyond the POI has also been examined to determine the likelihood of dumping and injury.
- x. The domestic industry had relied upon the data from the secondary sources i.e. IBIS. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the POI and also the post-POI. Since during the POI the volume of the imports of the subject goods from the subject country, as per the IBIS source, was found to be more than that reported in the DGCI&S data, although price of the subject goods in both the sources of data is almost at the same level, the Authority has relied upon the data from the IBIS source in the present investigation. Moreover, the data from the IBIS source reports the imports of the subject goods under several other customs heads which does not seem to have been captured in the data from the DGCI&S source.
- xi. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7th May, 2013. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions and rejoinders received from the interested parties have been considered by the Authority, wherever found relevant, in the present findings.
- xiv. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producers and the cooperating producers/exporters from the subject country was carried out to the extent deemed necessary.
- xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- xvii. The Department of Revenue vide its Office Memorandum No.354III/2001-TRU dated 14th August, 2013 allowed extension of time up to 8th November, 2013 for completing the subject investigation.
- xviii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties vide a disclosure statement issued on 1st November, 2013 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been considered in this finding.
- xix. *** In this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate for the POI has been taken as Rs.48.14=1 US\$.

C. Product under consideration and Like article

6. The product under consideration in the present sunset review investigation, as in the original investigation, is Nonyl Phenol, which is also known as Para Nonyl Phenol. It is a clear viscous liquid without sediments. The chemical formula and structure of Nonyl Phenol is C₁₅H₂₄O. It is used in the manufactures of NP-ethylene oxide condensates for application as non-ionic surfactants after subsequent sulphonation, of oil soluble phenolic resin, of derivatives applied as corrosion inhibitors in lubricating oils and of ingredients for agro-chemical formulations. It is also used in flame-retardants and plasticizers.

7. The product is classified under sub-heading No. 2907.13 under Customs Tariff Act. As claimed by the domestic industry and as per the IBIS data, the subject goods are also imported under various other Customs classifications such as 29071190, 29072990, 32041790, 38109090, 29214590, 29095090, 34031900, 34021300, and 34021900. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
8. The Domestic industry has submitted that the present review investigation is a sunset review investigation and the product involved in the original investigation as well as in the present sunset review investigation is Nonyl Phenol. It is further argued that Nonyl Phenol produced by the domestic industry and imported from the subject country are like product.
9. The Authority notes that none of the interested parties has contested the meaning and scope of the product under consideration as defined by the Authority. The Authority further notes that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from subject country are like articles in terms of the Rules.
10. The present investigation being a sun set review investigation the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original investigation. Moreover, none of the interested parties has made any relevant submission requesting modification in the scope of the Product under consideration or disputing the likeness of the subject goods imported from the subject countries and produced and supplied by the domestic industry.

D. Scope of the Domestic Industry & Standing

11. The application has been filed by M/s. S.I Group India Limited, the sole producer of the subject product in India. The Authority notes that the production of the aforesaid producer constitutes 100% of the total domestic production of the domestic like article. None of the interested parties have made any relevant submission with regard to the scope of domestic industry and standing requiring the Authority to specifically examine and address the same. In view of the above position and having regard to the Rules, the Authority considers M/s. S.I Group India Limited accounts for a major proportion in the Indian production of the subject goods and constitute domestic industry satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Antidumping Rules.

E. Confidentiality

Submissions by the Domestic industry

12. The following are the submissions made by the domestic industry as regards confidentiality issue:
 - (a) Excessive confidentiality has been claimed by the exporters in respect of financial statements, details of raw materials usage, mode of production etc.
 - (b) Claims of confidentiality made by the exporters do not meet the requirement of confidentiality prescribed under the statute.

Submissions by exporters/importers and other opposing interested parties

13. No relevant submission has been made by the opposite interested parties as regards confidentiality.

Examination by the Authority

14. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such

information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

15. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to “respective interested parties” only, while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.
16. The Authority notes that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. However, wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis and the non-confidential information was made available to the interested parties in the form of a public file.

F. De Minimis Limit

17. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and other secondary sources and from the cooperating producers/exporters from the subject country, the import of the subject goods from the subject country is significant and above de minimis level.

G. Determination of Dumping Margin, Normal Value and Export Price - Methodology and Parameters

Submissions by the Domestic Industry

18. The following are the submissions made by the domestic industry:
 - i. The exporters from subject country are offering year-end quantity discounts to the importers in India. If these year-end discounts are considered in determining the import price into India, price undercutting and price underselling would be significant.
 - ii. Though the volume of imports fell marginally during the POI, the volumes are significantly high when compared to the base year of the original investigation as well as the current investigation.
 - iii. Despite the fall in volume of imports during the POI, the market share of the imports increased. This clearly shows that the minimal fall in volume of imports cannot be regarded as a sign for withdrawal of the said duty.
 - iv. As evident from the deficiency reply submitted by the exporters, traders and related companies involved in the sale of the subject goods from the subject country have not cooperated and filed response. In view of this, the respondent exporters should be treated as non-cooperative and their responses should be rejected.
 - v. In a situation where costs have increased by close to 73% for the Indian domestic industry, costs would have also increased on the same lines (if not by identical percentage) for the Taiwanese exporters also. Their claim relating to increase in export prices have to be seen in this context. In view of the significant increase in costs, the increased export prices also were dumped prices only.

Submissions by the Exporters/Producers/Importers and other interested parties

19. The following are the submissions made by the Exporters/Producers/Importers and other interested parties:
 - i. During the period of investigation the prices charged by the Taiwanese Exporters to India were the highest. Therefore the argument of the domestic industry that the exporters have absorbed the Anti-dumping Duty to keep the volumes of exports at its highest levels is not true.
 - ii. The claim of the domestic industry that exporters from Taiwan are charging lower price than prices charged to other countries is also baseless.

Examination by the Authority

20. The Authority notes that the contention of the domestic industry that the exporters from the subject country are offering year-end quantity discounts to the importers in India is unsubstantiated.
21. As regards the submission of the domestic industry that traders and related companies involved in the sale of the subject goods from the subject country have not cooperated and filed response and therefore the respondent exporters should be treated as non-cooperative and their responses should be rejected, the Authority notes that

during verification of China Man-made Fibre Corporation and Formosan Union Chemical Corporation it was ascertained that both the producers/exporters have exported the subject goods to India during the POI directly as well as through traders/related companies. The issue has been addressed in the para concerning determination of export price.

22. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 normal value in relation to an article means:

"(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)".

23. The following producers and exporters from the subject country have responded to the questionnaire response:
- China Man-made Fibre Corporation (CMFC)
 - Formosan Union Chemical Corporation (FUCC)
24. The Authority has determined individual dumping margin in respect of co-operative exporters/producers who have provided the requisite information. The general methodology adopted for determination of Normal value is as follows.
25. The Authority notes that the co-operative exporters/producers have sold the subject goods on bulk basis as well as in packed form. Hence, the dumping margin for the said exporters has been computed taking cognizance of this distinction as well. After satisfying the ordinary course of trade, the Authority has determined the normal value based on the domestic sales of the cooperating exporters.
26. **Normal value for Formosan Union Chemical Corporation (FUCC), Chinese Taipei.**

The Authority notes that FUCC, Chinese Taipei, is a producer of Nonyl Phenol and has exported the subject goods to India directly as well as through traders during the period of investigation. In addition, FUCC has sold the subject goods in the domestic market as well during the POI. During the POI, the company has sold *** MT (NTD ***) of the subject goods in the domestic market to non-affiliated parties. For the determination of the ordinary course of trade test, the costs of production of the product concerned have been accepted. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the costs of production of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. The Authority notes that the domestic sales of subject goods by FUCC in the home market were representative for permitting determination of normal value on the basis of domestic selling prices, and the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the responding producer/exporter. The Normal Value determined by the Authority in respect of FUCC, Chinese Taipei during the POI is US\$ ***per MT.

Normal value for China Man-made Fibre Corporation (CMFC), Chinese Taipei.

27. The Authority notes that CMFC, Chinese Taipei, is a producer of Nonyl Phenol and has exported the subject goods to India directly as well as through traders during the period of investigation. In addition, CMFC has sold the subject goods in the domestic market during the POI. The company has sold ***MT (NTD ***) of the subject goods in the domestic market. All domestic sales transactions of CMFC were examined with reference to the costs of production of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. The Authority notes that the domestic sales of subject goods by CMFC in the home market were representative for permitting determination of normal value on the basis of domestic selling prices, and the

ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the responding producer/exporter. For the determination of the ordinary course of trade test, the costs of production of the product concerned have been accepted. The Normal Value determined by the Authority in respect of CMFC, Chinese Taipei during the POI is US\$***per MT.

Normal Value: Non-cooperative Exporters/Producers from Taiwan

28. No other exporter/producer from Taiwan has responded to the Questionnaire. The Authority determined the normal value for all other producers/exporters of Chinese Taipei, based on the facts available on record, as US\$ ***per MT.

Determination of Export Price

29. The Authority notes that the co-operative exporters/producers have exported the subject goods on bulk basis as well as in packed form. Hence, the export price for the said exporters has been computed taking cognizance of this distinction as well.

China Man-made Fibre Corporation (CMFC)

30. The Authority notes that during the POI CMFC exported a total of ***MT of subject goods to India amounting to US\$ ***through *** transactions. During verification it was informed by CMFC that they had supplied *** MT of the subject goods to one of their related parties in Taiwan, which was further exported to India. The Authority further notes that *** MT of the subject goods were also exported by CMFC through some unrelated traders. Since the exports made through the related party and the unrelated traders are negligible, the Authority has determined the export price by excluding such exports. The direct exports made by CMFC, which are considered by the Authority for determining export price, is ***MT for US\$***.
31. The Authority notes that all the sales of the subject goods to India made by CMFC were on CIF basis and that the expenses with regard to exports to India were incurred by the CMFC. The adjustments claimed by the company on account of Inland Freight, Trade Promotion Fee, Harbour Service Fee, Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Clearance and Handling Loading and Ancillary expenses, Packing Expenses, Bank Charge, and Credit Cost were accepted by the Authority. The total adjustments claimed and accepted by the Authority is US\$***. After excluding the indirect exports, and after deducting the adjustments, the Net Export Price of CMFC at ex-factory level is determined by the Authority as US\$ ***per MT.
32. The Authority notes that during the post-POI period CMFC exported ***MT of subject goods to India for a total value of US\$ US\$ ***. After deducting the adjustments, the net export price of CMFC during the post-POI is noted as US\$ ***per MT.
33. The Authority notes that during POI CMFC exported ***MT (US\$ ***) of the subject goods to the third countries with an average value of US \$ ***/MT. After deducting adjustments, the net export price of CMFC to the third countries during the POI is noted as US\$ ***per MT. The Authority further notes that out of the total third country exports by the company, the export price in respect of exports to China during the POI is US\$ ***per MT.
34. During post-POI, CMFC exported ***MT(US\$ ***) of the subject goods to third countries. The Authority notes that after adjustments the net export price of CMFC to the third countries comes to US\$ ***per MT. The Authority further notes that out of the total third country exports made by the company during the post-POI period, the export price in respect of exports to China during the post-POI is US\$ ***MT.

Formosan Union Chemical Corporation (FUCC)

35. The Authority notes that during the POI FUCC has exported a total of ***MT of subject goods to India amounting to US\$ ***through *** transactions. Out of these, ***MT amounting to US\$ ***were made through some unrelated traders. Since the traders involved are unrelated, the Authority proposes to determine the export price of CMFC by excluding such exports. The authority further notes that during the POI the company exported ***MT of the subject goods for US\$ *** to India directly. The adjustments claimed by the company on account of Inland Freight, Trade Promotion Fee, Harbour Service Fee, Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Clearance and Handling Loading and Ancillary expenses, Packing Expenses, Bank Charge, and Credit Cost were accepted by the Authority. The total adjustments claimed and accepted by the Authority is US\$ ***. After excluding the small quantum and value of exports made through traders and deducting the adjustments, the Net Export Price of FUCC at ex-factory level is determined by the Authority as US\$ ***per MT.

36. The Authority notes that during post-POI FUCC exported directly ***MT of the subject goods to India for a total value of US\$ ***. The Authority further notes that after deducting the adjustments, the net export price of FUCC during the post-POI is US\$ ***per MT.
37. As regards third country exports, the Authority notes that during POI, FUCC exported ***MT (US\$ ***) of the subject goods to third countries. The Authority further notes that after adjustments, the net export price of FUCC to the third countries during the POI is US\$ ***per MT.
38. The Authority notes that during post-POI, FUCC exported ***MT (US\$ ***) of the subject goods to third countries. The Authority further notes that after adjustments, the net export price of FUCC to the third countries during the post-POI is US\$ ***per MT.

Determination of Export Price in respect of non-cooperative exporters

39. The Authority has determined the export price in respect of non-cooperative exporters as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, the export price at ex-factory level in respect of all non-co-operative exporters from Chinese Taipei during the POI is determined by the Authority as US\$ *** per MT.

Dumping Margin

40. On the basis of the normal value and export price so determined at ex-factory level, the dumping margin during the POI for all exporters/producers from Taiwan is determined by the Authority as shown in the table below. It is noted that the dumping margin is positive in respect of CMFC and in respect of FUCC and all other exporters of the subject country dumping margin is not only positive but also significant.

Dumping Margin– POI

Exporter/Producer	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
CMFC	***	***	***	***	0-10
FUCC	***	***	***	***	5-15
All other exporters from Taiwan	***	***	***	***	25-35

41. The likely dumping margin during the post-POI period in respect of the cooperative exporters/producers from Taiwan is positive and significant:

Likely Dumping Margin – Post POI

Exporter/Producer	Likely Normal Value USD/MT	Likely Export Price USD/MT	Likely Dumping Margin USD/MT	Likely Dumping Margin %	Likely Dumping Margin % Range
CMFC	***	***	***	***	5-15
FUCC	***	***	***	***	15-25

42. The likely dumping margin during the POI and Post-POI in respect of exports of the subject goods to third countries is as shown in the table below:

Likely Dumping Margin – POI – Third Country

Exporter/ Producer	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
CMFC	***	***	***	***	0-10
FUCC	***	***	***	***	5-15

Likely Dumping Margin – Post- POI – Third Country

Exporter/ Producer	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
CMFC	***	***	***	***	5-15
FUCC	***	***	***	***	5-15

The Authority notes that the likely dumping margin in respect of exports of the cooperative exporters to third countries, during POI as well as post-POI periods, is positive.

43. The Authority notes that the dumping margin for both the cooperative exporters during the POI is positive and during the post-POI period the dumping margin is significant. In respect of third country exports, the dumping margin is positive as well.

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic industry

44. The following are the submissions made by the domestic industry:
- Despite imposition of AD Duty, imports of subject goods from the subject country have recorded a significant increase in absolute terms as well as in relation to the imports from other countries.
 - Imports from subject country increased significantly despite the fact that there was significant unutilized capacity lying with the petitioner during the entire injury period.
 - During post POI, the position of dumping has further intensified.
 - The landed value of imports from the subject country have been undercutting the selling prices of the domestic industry significantly during the entire injury period and the period post the POI, except for 2008-09 when the price undercutting was negative, but price underselling was very significant during the same period.
 - The capacity shown in the Audited Annual Report of the petitioner relates to the company as a whole covering all the plants and is not specific to the product concerned.
 - The price underselling from the subject country has been significantly high during the entire injury period as well as the post POI period despite AD Duty being in force.
 - The petitioner has been forced to keep its plant idle in spite of existence of huge market in India.
 - Notwithstanding the fact that some of the injury has been mitigated by aggressive cost cutting processes, the drastic growth in dumped imports is causing severe injury to the Petitioner.
 - The volume of imports of subject goods does not seem to have been impacted by the imposition of AD Duty. Despite imposition of AD Duty, there has been a significant increase in imports of subject goods into India. This has resulted in the domestic industry losing its market share to the dumped imports coming from subject country.
 - The increase in imports is despite the fact that domestic industry is holding significant unutilized capacity to produce the subject goods.

- xi. Production and capacity utilization of the domestic industry have improved a little bit during the period from 2007-08 to 2011-12, but saw a steep fall during the post Poi period.
- xii. The capacity utilization achieved by the petitioner during the POI is still far below the levels that existed when there were no dumped imports in the market. The domestic industry is not able to utilize its capacity fully due to the dumped imports coming from the subject country during the POI post-POI periods.
- xiii. The domestic sales of the petitioner showed improvement up to 2010-11, but declined during the POI and the post-POI periods.
- xiv. Despite the increase in production and sales during the POI as compared to the base year, the domestic industry has not been able to increase its market share even to a level of 50%, while the dumped imports from the subject country have constantly been maintaining a significant market share in India.
- xv. Low Inventory is not a relevant parameter for of injury analysis in the present case as most of the production is based on order backings.
- xvi. The domestic industry incurred huge losses during 2007-08 and 2008-09. The situation started improving marginally thereafter and the domestic industry started earning cash profits from 2009-10 onwards. However, injury suffered by the domestic industry deteriorated during the post POI period. Further, the returns earned by the petitioner also turned negative during the post POI period. In the event of withdrawal of AD Duty now, the dumped imports would intensify further and cause serious injury to the domestic industry. The domestic industry's return on capital employed is below the standard rate of return allowed by the Authority.
- xvii. Considering the market size for the subject goods in India, the petitioner should have been above to increase its capacity utilization significantly, which it was not able to do due to presence of dumped goods from Chinese Taipei in significant volume.
- xviii. The claims of the exporters that the petitioner has not suffered any price effect due to the subject imports and the sales realization of the petitioner have also improved during the POI are completely misplaced. Although the profitability of the domestic industry saw slight improvement during the latter part of the five years period of imposition of the Duty, but during the post POI period, the domestic industry turned into deep losses.
- xix. The imports from countries other than the subject country are no significant in volume terms so as to injure or threaten to cause injury to the domestic industry. Therefore, the primary cause of injury suffered by the domestic industry is the dumped imports from the subject country.
- xx. It is the consistent practice of the Authority to allow 22% return on capital employed in determining NIP of the domestic industry.

Submissions by the producers/exporters/other interested parties

45. The following are the submissions made by producers/exporters/other interested parties:
 - i. The Domestic Industry has not suffered any volume as well price injury. The subject goods is produced in a plant by Domestic Industry which can produce both Nonyl Phenol as well as DOP. Main reason for decline in capacity utilization is reduction in production of DOP and reduction in exports of Nonyl Phenol and not reduction in domestic sales of Nonyl Phenol.
 - ii. Domestic Industry was able to export about 3783 Mt of Nonyl Phenol in 2009-10. During 2009-10 exports of subject goods constituted more than 35% of the total sales of the subject goods by the Domestic Industry. Exports sales have reduced to 486 Mt during the period of investigation which constitutes only 6% of the total sales. During the same period production of DOP also declined by 2183 Mt. The above fact clearly establishes that there is no volume effect on the Domestic Industry during the period of investigation.
 - iii. The imports from Taiwan have declined significantly during the period of investigation.
 - iv. The Domestic Industry has earned more than reasonable ROI.
 - v. Cash profit is the highest during the period of investigation.
 - vi. The Non-injurious Price has come down and sales realization has gone up. The Domestic Industry has been able to earn the Non-injurious Price during the period of investigation. Therefore no price injury has been caused to the Domestic Industry.
 - vii. The export price from Taiwan during the period of investigation was the highest. During the same period the Domestic Industry could get highest realization in the Domestic Market. On the contrary the cost of production of the Domestic Industry has declined.

- viii. Since prices of Phenol, one of the major raw materials, have fluctuated during the period of investigation and post period of investigation, dumping and injury analysis should be done on quarterly basis.
- ix. The claim of the Domestic Industry as regards its installed capacity does not match with its Audit Reports.
- x. With decline in Capacity there should have been decline in depreciation also. On the contrary the Domestic Industry has claimed that depreciation in Indexed form has increased three time during 2010-11 as compared to 2008-09.
- xi. Decline in interest cost does not match with claims of capital employed.
- xii. Since the domestic industry is captively manufacturing Phenol, the actual cost of Phenol should be charged to the cost of production of the subject goods.
- xiii. Methodology of Non-injurious Price needs to be revisited and NIP needs to be determined as per para 4 of the Annexure III to Anti-dumping Rules.
- xiv. Adoption of 22% ROCE is not reasonable.
- xv. Claims of decline in capacity utilization by domestic industry are misleading. Domestic Industry has been able to sell almost what it produced.
- xvi. Imports from the Taiwan have declined during the period of investigation.

Examination by the Authority

- 46. In consideration of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
- 47. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 48. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
- 49. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provide that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has therefore determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from subject country is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether existing measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
- 50. According to Section 9 (A) (5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 51. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject country on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as below.
- 52. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties, considered relevant, are addressed below by the Authority:
 - i. As regards the contention of the opposite interested parties that the main reason for decline in capacity utilization of the domestic industry is reduction in production of DOP and reduction

in exports of Nonyl Phenol and not reduction in domestic sales of Nonyl Phenol, the Authority notes that during the POI the capacity utilisation of the domestic industry has increased as compared with the base year, although declined vis-a-vis the immediate preceding year. Further, the export performance of the domestic industry has been excluded from the present injury analysis and therefore same cannot be considered as a factor for injury to the domestic industry.

- ii. As regards the contention of the opposite interested parties that dumping and injury analysis should be done on quarterly basis since prices of major raw material i.e. Phenol has fluctuated, the Authority notes that the fluctuation in the prices of major raw materials is not substantial to justify quarterly analysis.
- iii. As regards the contention of the opposite interested parties that the methodology of Non-injurious Price needs to be revisited and NIP needs to be determined as per para 4 of the Annexure III to Anti-dumping Rules, the Authority notes that the NIP for the domestic industry has been determined on the basis of the rules and guidelines laid down under the Rules.
- iv. As regards the contention of the opposite interested parties that adoption of 22% ROCE is not reasonable, the Authority notes that it is the consistent practice of the DGAD to adopt 22% ROCE.
- v. Regarding captively manufactured Phenol, Authority has satisfied itself during verification and from the evidence submitted during verification it is noted that domestic industry has not used captively produced phenol in the production of subject goods and that the entire requirement of phenol is met by imports from unrelated parties.
- vi. As regards the contention that no price injury has been caused to the domestic industry as they have been able to earn the non-injurious price during the period of investigation, the Authority notes that there is no legal provision that the Authority should compare the non-injurious price with net sales realization in order to determine the price effect. Furthermore, the Authority notes that NSR is not the only parameter to decide the imposition of anti-dumping duties. The other price effects of imports have been adequately examined by the Authority which shows injury to the Domestic Industry.

VOLUME EFFECT:

53. Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry has been examined as follows:

Demand and Market Share

54. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below :

Particulars	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (POI)	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Sales of Domestic Industry	1,220	6,968	7,824	7,287	5,540	2891
Total imports	8,267	8,623	8,097	7,405	9357	4599
Imports from subject country	5,139	8,611	6,701	6,494	8984	4257
Other Countries – Imports	3,128	12	1,396	911	372	342
Total Demand	9,487	15,591	15,921	14,692	14,897	7490
Market Share						

Particulars	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (POI)	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
➤ Domestic Industry	12.86%	44.69%	49.14%	49.60%	37.19%	38.59%
➤ Subject Country	54.17%	55.23%	42.09%	44.20%	60.31%	56.84%
➤ Other Countries	32.97%	0.08%	8.77%	6.20%	2.50%	4.57%
➤ Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

The Authority notes that sales of the subject goods of the domestic industry show a marginal decline during the POI as compared to the immediate preceding year, but show a substantial increase vis-à-vis the base year. The Authority further notes that the imports of the subject goods from the subject country during the POI, although declined vis-a-vis the immediate preceding year, show a significant increase as compared with the base year. The demand of the subject goods in the domestic market of the country also shows a similar trend. During the post-POI period, the imports of the subject goods from subject country have increased substantially. On the contrary, the sales of domestic industry show significant declining trend. During the post-POI period, the market share of the subject country has increased substantially, whereas the market share of the domestic industry has gone down drastically.

Import Volume & Market share

55. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Subject Country	MT	5,139	8,611	6,701	6,494	8984	4257
Other Countries	MT	3,128	12	1,396	911	372	342
Total Imports	MT	8,267	8,623	8,097	7,405	9356	4599
Market Share in Imports							
Subject Country	%	62.2	99.9	82.8	87.7	96	92.56
Other Countries	%	37.8	0.1	17.2	12.3	4	7.44
Total Imports	%	100	100	100	100	100	100
Subject country's Imports in relation to							
Consumption/Demand in India	%	54.17	55.23	42.09	44.20	60.31	56.84
Production in India	%	375.55	78.57	67.60	80.03	156.02	148.71

The Authority notes that volume of dumped imports from the subject country has marginally declined in the POI as compared to preceding year but significantly increased vis-à-vis the base year. However, the share of the subject country in the total imports in to India has significantly increased during the POI as compared to both the immediate preceding year as well as the base year. During the post-POI period, the market share of the subject country has increased substantially.

Production, Capacity & Capacity Utilization

56. As per table given below, the Authority notes that during the POI the Production and capacity utilization of the domestic industry, although increased vis-a-vis the base year, show significant decline as compared to the immediate preceding year. The Authority notes that during the post-POI, the production of the PUC has declined substantially.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post- POI April - September, 2012)
Installed capacity	MT	24,315	24,315	24,315	24,315	24,315	12158
Trend		100	100	100	100	100	100
Production (Plant)	MT	7,581	18,868	17,353	13,840	12,098	5606
Trend		100	249	229	183	160	148
Production of PUC	MT	1,368	10,960	9,913	8,115	5,758	2898
Trend		100	801	725	593	421	424
Capacity Utilization (Plant)	%	31.18%	77.60%	71.37%	56.92%	49.75%	46.12
Trend		100	249	229	183	160	148

Sales

57. The sales volume of the domestic industry shows decline during the POI as compared to the immediate preceding year. The Authority notes that the sales of the domestic industry have declined despite having the capacity to meet the entire demand in the country. The Authority notes that during the post-POI the sales of the domestic industry have gone down drastically, whereas the total demand in the country for the subject goods has increased.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Domestic Sales	MT	1,220	6,968	7,824	7,287	5,540	2891
<i>Indexed</i>		100	571	641	597	454	474
Total Demand	MT	9,487	15,591	15,921	14,692	14,897	7490
<i>Indexed</i>		100	164	168	155	157	158

Market Share

58. The imports from the subject country continue to hold significant share in the Indian market throughout the injury period including the POI despite the domestic industry holding the capacity to meet the entire domestic demand

and despite the anti-dumping duty imposed. The Authority notes that during the post-POI the market share of the domestic industry has further gone down, whereas the market share of the subject country has increased substantially.

Market Share in Demand	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
➤ Domestic Industry	%	12.86	44.69	49.14	49.60	37.19	38.59
➤ Subject Country	%	54.17	55.23	42.09	44.20	60.31	56.84
➤ Other Countries	%	32.97	0.08	8.77	6.20	2.50	4.57

Price Effect of the dumped imports on the Domestic Industry

59. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

Price undercutting and underselling effect

60. The Authority has made price undercutting and underselling analysis both with and without anti-dumping duty as below:

Price Undercutting

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	104	132	161	159	162
Landed Value without ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	80	121	155	144	152
Landed Value with ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	82	119	151	142	150
Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***

Undercutting without ADD	Trend	-100	653	235	39	312	151
	%	***	***	***	***	***	***
	Range %	(0-10)	15-25	0-10	0-10	0-10	0-10
Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	-100	86	-16	-69	-11	-52
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	(10-20)	10-20	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)

Price Under-selling

Particulars	UOM	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Non-Injurious Price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***
Trend		100	107	108
Landed value without ADD	Rs/MT	***	***	***
Trend		100	93	98
Landed value with ADD	Rs/MT	***	***	***
Trend		100	94	99
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	Range %	(0-10)	0-10	0-10
Price Underselling with ADD	Rs/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	Range %	(5-15)	0-10	(0-10)

The Authority notes that during the POI as well as post-POI, the price undercutting with ADD is negative and without ADD is positive. Therefore, during the post-POI, likelihood of price undercutting in the event of revocation of the anti-dumping duty is significant. The Authority further notes that during POI the price underselling, with as well as without ADD, is negative. During the post-POI (annual), the price underselling with and without ADD is positive.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

61. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that the domestic industry has not been able to increase its selling price commensurate to the increase in the cost of sales due to the dumped imports.

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Cost of production	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	52	72	84	92	93
Net selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	132	161	159	162
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	12	4	13	(9)	(7)
Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	121	155	144	152

Examination of other Injury Parameters

62. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed hereunder as follows:

Profit/loss, Return on Investment and Cash Flow

63. The return on investment, profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit are shown in the table below:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post- POI April - September, 2012)
Cost of production	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	52	72	84	92	93
Net selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	132	161	159	162
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	12	4	13	(9)	(7)
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	68	27	77	(41)	(16)
Profit before Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	72	28	81	(42)	(16)
Cash Profit		***	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	(100)	100	48	104	(27)	(9)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	31	12	30	(16)	(24)

The Authority notes that the cost of production as well as net selling price of the domestic industry has increased during the POI as compared to the immediate preceding year. The profit position of the domestic industry has also improved significantly during the POI as compared to the immediate preceding year. The ROI position has also improved during the POI. These improvements in the domestic industry can be attributed to the ADD protection. But, despite the ADD, during the post-POI period, the profit, net sales realization and ROC have turned negative due to significant decline in the landed value.

Inventories

64. The Authority notes from the information given in the table below that inventories with the domestic industry have increased during the POI as compared to the base year as well as immediate preceding year. During post-POI, the domestic industry is saddled with huge inventory.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Average Stocks	MT	***	***	***	***	***	***
Average Stocks	Index	100	167	160	170	274	274

Employment, wages and productivity

65. The Authority notes from the information given in the table below that while employment has declined during the POI as compared to the base year as well as immediate preceding year, wages have increased during the same periods.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post-POI April - September, 2012)
Employment	No	71	71	70	66	66	66
Trend	Indexed	100	100	99	93	93	93
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	131	144	158	158
Productivity per Employee	Mt	106.78	265.75	247.90	209.70	183.30	170
Trend	Indexed	100	249	232	196	172	159
Productivity per day	Mt	20.77	51.69	47.54	37.92	33.14	30.72
Trend	indexed	100	249	229	183	160	148

Growth

66. The volume and price parameters of the domestic industry indicate positive growth during POI. The Authority notes that the overall economic health of the domestic industry has improved mainly due to the ADD measures. But, during post-POI, the economic health of the domestic industry has deteriorated despite the anti-dumping measures due to significant decline in the landed value.

Magnitude of Margin of Dumping

67. The Authority notes that the dumping margin determined in respect of imports from the subject country is positive during the POI as well as post-POI.

Ability to raise Capital Investment

68. The ability to raise capital investment in the event of dumping is not relevant since the domestic industry is a multi-product industry.

I. **Other Known factors and Causal Link:**

Submissions by Domestic Industry

69. The primary cause of injury suffered by the domestic industry is the dumped imports from the subject country. The imports from countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to injure or threaten to cause injury to the domestic industry.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

70. Exports price from Taiwan and sales realization of the Domestic Industry is the highest during the period of investigation. Therefore there is no causal link between the dumping and injury as alleged by the petitioner.

Examination by the Authority

71. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Notwithstanding this, the Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:
- i. **Imports from Third Countries:** - The imports of the subject goods from other countries are either below de-minimus or the import price is higher. Therefore, imports from any other country cannot have any adverse effect on the domestic industry.
 - ii. **Contraction in Demand:** - The Authority notes that there is a significant increase in the demand for the subject goods in India during the POI as compared to the base year, although it declined marginally vis-a-vis the immediate preceding year. But, such marginal contraction in demand cannot be considered as the reason for the injury.
 - iii. **Pattern of consumption:** - It is noted that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission to that regard.
 - iv. **Conditions of competition:-** The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry since M/s SI Group representing domestic industry in the present case is the sole producer of the subject goods in the country.
 - v. **Developments in technology:** - The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

Export performance: From the information given in the table below it is seen that the export performance of the domestic industry has substantially declined during the POI as compared to the immediate preceding year. However; the decline in the export performance has no impact since injury analysis has been done without including export performances of the domestic industry.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	2012-13 (Post POI Annual)	2012-13 (Post- POI April - September, 2012)
Export Sales of subject goods by Petitioner (MT)	MT	82	3,783	2,112	486	50	36
Trend		100	4,593	2,565	590	61	87

Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury

Submissions made by the domestic industry

72. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury :
- The subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and also India are subjected to AD duty in China. China PR has recently decided to continue the Duty on India and Chinese Taipei for a further period of 5 years after conducting an SSR investigation. This situation enables the exporters from the subject country to divert the subject goods into the Indian market in the event of revocation of ADD by India.
 - The subject goods are continuously being dumped into India even after imposition of AD Duty. When the goods have been dumped into India even after imposition of AD Duty, it is evident that the margin of dumping would increase further in the event of withdrawal of AD Duty.
 - The domestic industry has continued to suffer injury despite imposition of AD Duty. Despite imposition of AD Duty, the imports from subject countries continue to hold more than 50% of market share in India.
 - Despite the domestic industry holding adequate capacity to serve the entire domestic market, due to the presence of dumped imports from subject country, the petitioner has been forced to operate at sub optimal levels.
 - Despite imposition of AD Duty, the petitioner has never been able to achieve 22% return on capital employed during the last four years and POR.
 - The total capacity in Chinese Taipei was 50,000 MT per annum till 2009 which further increased to 62,000 MT in 2010. These capacities are far higher than the total consumption in Chinese Taipei which is around 8,000 MT. More than 80% of the total capacity in Chinese Taipei is meant for exports to third countries.
 - The excess capacity available with the producers in Chinese Taipei is around three times the total domestic demand in India. It is clearly obvious that the additional capacity for the subject goods in Chinese Taipei is meant only for exports to third countries. Due to economies of transportation, the subject goods have to be sold only in Asia. The biggest market in Asia, China PR, has already continued imposition of AD Duty on the subject goods from Chinese Taipei and therefore, the withdrawal of AD Duty by India would provide free access to producers from Chinese Taipei to dump their products into India without any restriction.
 - The exporters have failed to establish as to how the difference in POI will have an impact on the likelihood analysis. If India does not continue the duty when China PR has done so, it is obvious that the goods meant for China PR would be diverted to Indian market.
 - The subject AD Duty by India has been in force since August 2007 and that of China PR from March 2007. Upon imposition of AD Duty by India and China PR in 2007, the exporters from Chinese Taipei tried to widen their market presence in non-Asian countries. Exports to non-Asian countries constituted 20% of total exports from Chinese Taipei in 2008-09 and 23% in 2009-10. However, the exporters from Chinese Taipei were not able to maintain the momentum for more than 2 years and were forced to dispose of their goods in Asian continent from 2010-11 onwards at throw away prices despite trade restrictive measures in force in China PR and India.
 - The exporters from Chinese Taipei during the past five years have increased their exports to India alone, keeping the exports to other countries constant. This alone is a ground for extension of the duty for a further period of five years.
 - Further, the exports from Chinese Taipei to countries subject to AD Duty in proportion to their total exports continued to increase despite imposition of AD Duty. The export to China PR and India which

was at 38% of the total exports during 2006-07 (before imposition of AD Duty) increased to 55% immediately after imposition of AD Duty and has remained significantly high in the subsequent years also. The above analysis clearly shows that it is incumbent for the exporters from Chinese Taipei to export their production to China PR and India as it is not feasible to export their goods to other countries. Therefore, there exists all likelihood for dumped imports to intensify into India and injure the domestic industry in the event of withdrawal of the AD Duty.

- xii. AD Duty was imposed by the Authority at a fixed rate of USD163.62 per MT. Owing to phenomenal increase in prices of raw materials of the subject goods, the prices of the subject goods also increased substantially. Consequently, the quantum of AD Duty which represented around *** % of the export price to India from Chinese Taipei in 2005-06 became a mere *** % of the export price in 2011-12. In such a situation, in the event of withdrawal of AD Duty, the exporters from Chinese Taipei would be in a position to increase their exports to India in much higher volumes.
- xiii. During the year 2010 and 2011, the petitioner had supplied substantial quantities of subject goods to domestic users, but many of them did not turn up to the petitioner in 2012 for further orders despite repeated price enquiry proposals received from them. It is not a case of domestic users changing their business model and stopping purchases of subject goods. It is a case where the domestic users are resorting to increased imports of dumped goods from Chinese Taipei. The primary reason for such a shift in the procurement policy of the end users is the year end volume discounts being offered by exporters from Chinese Taipei.
- xiv. The export price of the subject goods from the subject country has fallen by 8% during the post-POI period, whereas the prices of the major raw materials have increased.

Submissions by Producers/ Exporters/ Importers and Other Interested Parties

- 73. Following submissions have been made by the opposite interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
 - i. Continued imposition of ADD by China on the imports of subject goods from Chinese Taipei cannot be cited as likelihood for continued imposition of ADD by India as the POI adopted by China is different from what has been adopted by India.
 - ii. China does not adopt the lesser duty rules like India and the cost and price structure in China is entirely different from what is prevailing in India.
 - iii. Likelihood test should be restricted to the period of investigation and six months post period of investigation.

Examination by the Authority

- 74. The present investigation is a sun set review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Chinese Taipei. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
- 75. In the present investigation, as there are continued dumped imports from the subject country, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to recurrence of dumping. Despite the anti-dumping measures in force, the subject country could maintain a significant presence in the Indian market and continued to dump the subject goods to the detriment of the domestic industry. The Authority notes that imports of product under consideration from the subject country remained significant over the current injury period in absolute terms. Although the analysis of various economic parameters shows overall economic health of the domestic industry has improved during the POI, the Authority notes that this improvement is mainly due to the anti-dumping measures in force. However, during the post-POI, despite the anti-dumping duty, the economic health of the domestic industry has deteriorated miserably due to intensified dumping by the subject country. Thus, in the event of cessation of the anti-dumping measures, the dumping of subject goods from the subject country is likely to continue at more intensified manner, causing injury to the domestic industry.
- 76. In the present investigation, as there are continued dumped imports from the subject country, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. However, the Authority has determined the likely dumping margin in respect of the exports made by the cooperative exporters as well as the subject country as a whole during post-POI period to India and also the third countries in the relevant para of this finding. The Authority notes that the likely dumping margin is positive and substantial. Therefore, in the event of revocation of the anti-dumping measures, the dumping of the subject goods from the subject country in India may be intensified.

77. As submitted by the domestic industry, the total capacity in Chinese Taipei was 50,000 MT per annum till 2009 which further increased to 62,000 MT in 2010. These capacities are far higher than the total consumption in Chinese Taipei which is expected to be around 8,000 MT. The relevant details, as submitted by the domestic industry, are under:

Particulars	2008	2009	2010	2011
Total Capacity	50,000	50,000	62,000	62,000
Domestic consumption in Chinese Taipei	8,100	8,400	11,800	8,700
Excess capacity	41,900	41,600	50,200	53,300
Excess capacity as % of total capacity	83.80%	83.20%	80.97%	85.97%
Exports by Chinese Taipei	36,229	45,551	40,421	39,259
Exports as a % of total capacity	72.46%	91.10%	65.20%	63.32%

78. From the details given above by the domestic industry It is evident that more than 80% of the total capacity in Chinese Taipei is meant for exports to third countries. The total Indian market for the subject goods is around 15,000 MT per annum. The excess capacity available with the producers in Chinese Taipei is around four times the total domestic demand in India. It is clearly obvious that the additional capacity for the subject goods in Chinese Taipei is meant only for exports to third countries. Since China has continued imposition of anti-dumping duty on Chinese Taipei, the subject goods are bound to be diverted to the Indian market in a more intensified manner in the event of revocation of the anti-dumping duty. The post-POI data is self explanatory. Under this situation, considering the substantial demand for the subject goods in the Indian market, huge capacity in the subject country and its export orientation, revocation of the anti-dumping measures by India may result in intensified dumping and consequent injury to the domestic industry,.

Magnitude of injury and injury margin

79. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry has been determined by the Authority in terms of Annexure III to the Anti-dumping Rules. The NIP so determined has been compared with the landed value of the exports of subject goods from Chinese Taipei for determination of injury margin during the POI. The Authority notes that the co-operative exporters/ producers have exported the subject goods on bulk basis as well as in packed form. Hence, the injury margin has been computed taking cognizance of this distinction as well in NIP and landed value.

Injury margin – POI & post-POI

Particulars	UOM	POI			Post-POI	
		CMFC	FUCC	All other	CMFC	FUCC
Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Landed Price without ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***
Injury Margin	Rs/MT	***	***	***	***	***
	US\$/MT	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***
	Range %	(0-10)	0-10	10-20	0-10	0-10

80. The Authority notes that the injury margin in respect of CMFC is negative during the POI, but positive during the post-POI. In the case of FUCC, the Authority notes that the injury margin is positive both during POI as well as post-POI. The Authority further notes that during post-POI period the injury margin in respect of both the cooperative exporters from the subject country is positive and significant.

Indian industry's interest and other issues

81. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.
82. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Further, imposition of anti-dumping duties, would not affect the availability of the product to the consumers.

Post Disclosure Comments

83. The following submissions have been made by China Man-made Fibre Corporation (CMFC) and Formosan Union Chemical Corporation (FUCC) in their post-disclosure comments:
- i. Continuation of the existing investigation after expiry of Anti-dumping Duty is bad in law.
 - ii. Inadequate time provided for disclosure comments.
 - iii. The data for post-POI analysis should be for six months instead of one year.
 - iv. Export performance of the domestic industry should not be excluded from the injury analysis.
 - v. Dumping and injury analysis should be done on monthly or quarterly basis.
 - vi. Domestic Industry is able to earn the non injurious price and therefore no injury is caused to them.
 - vii. Despite anti-dumping duty imposed by China on Taiwan, the prices to China are either equal to or higher than prices to India. Under such circumstances it is not practically and commercially viable and appropriate to shift and divert exports made to China to Indian Market.
84. The domestic industry in their post-disclosure comments reiterated that both China Man-made Fibre Corporation (CMFC) and Formosan Union Chemical Corporation (FUCC) should be declared as non-cooperative as the traders (related/unrelated) through whom they have exported the subject goods during the POI have not filed response.

Examination by the Authority

85. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the domestic industry and other interested parties are reiterations which have already been addressed in the relevant para of this finding. Nevertheless, the post-disclosure submissions are examined as below:
- i. As regards the post-disclosure submission made by the domestic industry that China Man-made Fibre Corporation (CMFC) and Formosan Union Chemical Corporation (FUCC) should be declared as non-cooperative as the traders (related/unrelated) through whom they have exported the subject goods during the POI have not filed response, the Authority notes that the exports made through the related party and the unrelated traders are negligible and the export price has been determined by excluding such exports.
 - ii. As regards the post-disclosure submission made by exporters that continuation of the existing investigation after expiry of anti-dumping duty is bad in law, the Authority notes that Section 9A(5) of the Customs Tariff Act as well as Rule 23(1)(B) of the Anti-dumping Rules address the operation and conducting of sunset reviews of anti-dumping duties upon the expiry of the 5 year levy. The above provisions empower the Designated Authority to initiate a sunset review investigation prior to expiry of duties and extend duties for up to one year while the SSR is conducted (2nd proviso to Section 9A(5)). Further, it is provided under Rule 23(2) that any review shall be conducted within a period not exceeding 12 months. Further, Rule 23(3) clearly states that the provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review. In this behalf, it may be noted that the first proviso to Rule 17 clearly allows the Designated Authority to extend the 12 month period by another six months. Reading Rule 23(2) along with the proviso to Rule 17 clearly indicates that a similar extension may also be taken in case of a review as well. In this behalf, it is noted that in the present review, the extension of time in order to complete the investigation is well within the provision of anti dumping rules and grant of extension of time has been duly granted by Central Government. It is therefore noted that the present extension taken by the Designated Authority in order

- to complete the investigation is legal and within the rights granted to the Designated Authority under Rule 23, Rule 17 and Section 9A(5) of the Act and any Final Findings issued by the Designated Authority is legal and within the mandate of the letter and spirit of the law in this behalf.
- iii. As regards the post-disclosure submission made by exporters that inadequate time was provided for disclosure comments, the Authority notes that keeping in view the time period permitted for completing the investigation, reasonable and adequate time was provided to the interested parties for submission of post-disclosure comments.
 - iv. As regards the post-disclosure submission made by exporters that the data for post-POI analysis should be for six months instead of one year, the authority notes that the relevant analysis has been done by taking both one year as well as six months data.
 - v. As regards the post-disclosure submission made by exporters that the export performance of the domestic industry should not be excluded from the injury analysis, the authority notes that the injury analysis has been done by excluding the export performance of the domestic industry and therefore it has no impact.
 - vi. As regards the post-disclosure submission made by exporters that the dumping and injury analysis should be done on monthly or quarterly basis, the authority notes that the fluctuation in the prices of major raw materials is not substantial to justify monthly/quarterly analysis.
 - vii. As regards the post-disclosure submission made by exporters that the domestic industry is able to earn the non injurious price and therefore no injury is caused to them, the Authority notes that the net sales realisation is more than the non injurious price during the POI. However, the Authority further notes that the net sales realisation is not the only parameter to decide the imposition of anti-dumping duties. The other price effects of imports have been adequately examined by the Authority which shows injury to the Domestic Industry.
 - viii. As regards the post-disclosure submission made by exporters that despite anti-dumping duty imposed by China on Taiwan, it is unlikely that the goods will be diverted to India in the event of revocation of the anti-dumping duty by India, the Authority notes that considering the substantial demand for the subject goods in the Indian market, huge capacity in the subject country and its export orientation, revocation of the anti-dumping measures by India may result in intensified dumping and consequent injury to the domestic industry.

CONCLUSIONS

86. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
 - i. Import of the subject goods from Chinese Taipei has remained at significant level throughout the injury period and continues to command a significant share during the POI.
 - ii. There has been continued dumping of the subject goods from the subject country and the dumping is likely to continue and increase if the anti-dumping duty is allowed to cease.
 - iii. While during the POI as well as post-POI, the price undercutting with ADD is negative, without ADD it is positive.
 - iv. During POI the price underselling, with as well as without ADD, is negative. During the post-POI, the price underselling with and without ADD is positive.
 - v. The volume and price parameters of the domestic industry indicate positive growth during POI. But, during post-POI, the economic health of the domestic industry has deteriorated despite the anti-dumping measures due to significant decline in the landed value. Thus, the overall economic health of the domestic industry improved during the POI mainly due to the ADD measures and the situation has worsened due to intensified dumping in the post-POI.
 - vi. Considering the demand for the subject goods in India and the capacity in the subject country and continued anti-dumping duty by China on the subject country, in the event of revocation of duty by Indian Authority, the dumping is likely to intensify causing injury to the domestic industry.
 - vii. The dumping margin for both FUCC and CMFC during the POI is positive and during the post-POI period the dumping margin is significant. Therefore, the subject country has continued to dump the subject goods in India unabated despite the anti-dumping duties in force.

- viii. The subject country is also engaged in dumping of the subject goods in other countries including China. While the Chinese Authorities have continued anti-dumping measures against Chinese Taipei, the likely dumping margin in respect of exports to third countries, during POI as well as post-POI periods, is positive.
- ix. While the injury margin in respect of CMFC is negative during the POI, but positive during the post-POI, in the case of FUCC, the injury margin is positive both during POI as well as post-POI.
- x. The injury margin during post-POI period is not only positive but also significant.
- xi. Thus, the anti dumping duties are required to be extended and modified.

J. Recommendations

87. Having concluded that the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation/ resumption/intensification of dumping and injury on account of imports of the subject goods from the subject countries, if the duties are revoked, the Authority holds that the measure is required to be extended in respect of imports of the subject goods from the subject country. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measure is required to be extended in respect of imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, as specified in the duty table below. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei, by the Central Government.
88. The Authority notes that both China Man-made Fibre Corporation (CMFC) and Formosan Union Chemical Corporation (FUCC), cooperative producers/exporters of the subject goods in the subject country during the present SSR investigation, had not cooperated with the Indian Authority in the earlier investigation and were imposed US \$163.62/MT residual duty. In the present SSR investigation, China Man-made Fibre Corporation (CMFC) is having positive dumping margin and negative injury margin during the POI and positive and substantial dumping margin as well as injury margin during the post-POI. The Authority notes that there is a strong likelihood of intensified dumping with recurrent injurious impact on the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duty on M/s China Man-made Fibre Corporation (CMFC). Therefore, the Authority, relying upon the likelihood analysis, recommends continuation of the anti-dumping duty earlier imposed vide Customs Notification No. 94/2007-Customs dated 22nd August, 2007, as specified in the duty table below.
89. As regards Formosan Union Chemical Corporation (FUCC), the Authority notes that both dumping margin and injury margin during the POI as well as post-POI are positive and substantial. The Authority further notes that despite the anti-dumping measures in force, FUCC continued to dump the subject goods in India unabated in a more intensified manner during the POI as well as post-POI with continued injurious impact on the domestic industry. Therefore, having regard to the lesser duty rule, in respect of Formosan Union Chemical Corporation (FUCC), the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry, as specified in the duty table below.

Duty Table

S. No	Sub-Heading/ Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount of Duty	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2907 1300	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s China Man-made Fibre Corporation	M/s China Man-made Fibre Corporation	163.62	MT	US\$
2	-do-	-do-	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s Formosan Union Chemical Corporation	M/s Formosan Union Chemical Corporation	207.18	MT	US\$

3	-do-	-do-	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any combination of producer/exporter (other than in Sl. No.1 & 2 above)		364.48	MT	US\$
4	-do-	-do-	Chinese Taipei	Any country other than Chinese Taipei	Any	Any	364.48	MT	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	364.48	MT	US\$

K. Further Procedures

90. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs Authority under the Customs Act, 1962 and all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
91. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

J. S. DEEPAK, Designated Authority